

सामथ्या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

तीसरी वार्षिक आम बैठक



सामथ्या
मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी

सी.आई.एन: U01100UP2022PTC161571

स्थान: दूसरी मंजिल, गाटा नंबर 466, 466/2, 466 एमआई/29, 30 एमआई,

गांव अखितरपुर/अहमदपुर, नजूल (बूमबैया कोठी),

तालुका—सदर, रायबरेली, उत्तर प्रदेश, भारत—229001

ई मेल : info@saamarthyamilk.com

सामर्थ्या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के

मूल्य

- ❖ ईमानदारी
- ❖ परस्पर सम्मान
- ❖ संस्था का हित सर्वोपरि
- ❖ उच्च गुणवत्ता
- ❖ सच्चाई
- ❖ जिम्मेदारी
- ❖ पारदर्शिता

ध्येय

समर्थ्या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी अपने सभी दूध उत्पादक सदस्यों से गुणवत्ता युक्त दूध का नियमित संग्रहण कर उचित मूल्य पर दूध का भुगतान नियत समय पर करेगी एवं संरक्षणता के आधार पर सदस्यों को अपनी अर्जित लाभ से लाभांश देगी। कंपनी अपने कार्यक्षेत्र में दूध उत्पादन और उत्पादकता की वृद्धि एवं लागत खर्च कम करने के लिए तकनीकी सुविधा प्रदान करेगी। कंपनी अपने सदस्यों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए कृतसंकल्प है।

दीर्घदृष्टि -2033

समर्थ्या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी अपने मूल्य एवं ध्येय का पालन करते हुए उत्तर भारत की डेयरी कंपनियों में प्रथम स्थान प्राप्त करेगी और अपने कर्मचारियों एवं कार्य क्षेत्र के दूध उत्पादकों की पहली पसंद बनेगी। कंपनी राष्ट्रीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण में अपने योगदान के लिए जानी जाएगी।

(नोट: हिंदी भाषा में अनुवादित तीसरी वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण में किसी प्रकार की अस्पष्टता/त्रुटि पाए जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज ही अंतिम रूप से मान्य होंगे)



निदेशक मंडल

31 मार्च 2024 को स्थिति

श्रीमती लक्ष्मी देवी	(डीआईएन : 09554762)	अध्यक्षा एवं निदेशक
श्रीमती कुमकुम	(डीआईएन : 09554864)	निदेशक
श्रीमती तेज कुमारी	(डीआईएन : 09554761)	निदेशक
श्रीमती अनामिका	(डीआईएन : 09554865)	निदेशक
श्रीमती चांदनी	(डीआईएन : 09554863)	निदेशक
डॉ प्रशांत माण्डव्य	(डीआईएन : 09718702)	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
श्री अलोक कुमार गुप्ता	(डीआईएन : 03159741)	विशेषज्ञ निदेशक

बैंकर्स :
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रायबरेली
एच डी अफ सी बैंक लिमिटेड, रायबरेली

उद्भव प्रताप सिंह
(कंपनी सचिव)
आशीष चौबे
(मैनेजर फाइनेंस)
वैधानिक अंकेंक्षक
मेसर्स अजय गोयल एंड कंपनी
लखनऊ
आंतरिक अंकेंक्षक
मेसर्स एर्नस्ट एंड यंग
नई दिल्ली

रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट
बीटल फाइनेंस एंड कंप्यूटर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99 मदनगरी,
नई दिल्ली 110062

अनुक्रमाणिका

पंजीकृत कार्यालय
द्वितीय तल, गाटा संख्या 466,
466/2, 466 एमआई/29, 30
एमआई, ग्राम अखित्यारपुर/
अहमदपुर, नजूल (बूम्बैया कोठी),
तालुका—सदर, रायबरेली,
उत्तर प्रदेश, भारत—229001
ईमेल : info@saamarthymilk.com

विवरण	पृष्ठ संख्या
1. निदेशकों की रिपोर्ट	3—10
2. स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट और अनुलग्नक	11—21
3. अंकेंक्षित वार्षिक लेका विवरण	
क. 31 मार्च, 2024 को आर्थिक चिट्ठा	22—22
ख. 31 मार्च, 2024 के लिए लाभ— हानि खाता	23—23
ग. 31 मार्च, 2024 रोकड़ प्रवाह विवरण	24—43
4. नोट्स जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा है	44—51
5. वार्षिक आम बैठक की सूचना और इसके अनुलग्नक	52—55
6. उपस्थिति पर्ची	56—56
7. प्रॉक्सी फॉर्म	57—57
8. पशुपालन संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी	59—60
9. वार्षिक आम सभा के स्थल मार्ग का मानचित्र	61—61
10. पावती	61—61



प्रिय सदस्यों,

सामर्थ्या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की तीसरी आम सभा में आप सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है।

वित्तीय वर्ष 2023-2024 में कंपनी ने कुल रु 346.32 करोड़ का व्यपार किया और कुल लागत रु. 345.45 करोड़ रही। कंपनी के निदेशक मंडल ने आपके द्वारा लिए गए समता अंशों पर रु 8 प्रति अंश की दर से समितित लाभांश (डिविडेंड) देने की अनुशंसा की है।

गत वर्ष 2023-24 की समाप्ति तक कुल महिला सदस्यों की संख्या लगभग 66852 थी। कंपनी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से महिला सशक्तिकरण के नए अयाम स्थापित कर रही है एवं महिला सदस्यों के बैंक खातों में सीधे दूध का पैसा का भुगतान कर प्रदेश की महिलाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित कर रही है।

वर्ष के दौरान कंपनी के साथ जुड़ कर लगभग 6294 महिलाएं लखपति दीदी बनी जो गांव की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रही हैं।

कंपनी ने गत वर्ष में कुल रु 346.32 करोड़ के व्यपार से प्राप्त राशि में से रु 305 करोड़ का भुगतान महिला सदस्यों को किया है।

कंपनी ने वर्ष 2023-24 में 66621270 लीटर दूध का संकलन किया है। कंपनी ने गत वर्ष दो बार सदस्यों को प्रोत्साहन राशि के रूप में लगभग रु 1.25 करोड़ सीधे सदस्यों के खाते में डाले। कंपनी के पास वर्ष के अंत तक कुल 3 एमसीसी और 41 बी एम सी कार्यरत थी जिनसे सदस्यों के द्वारा एम पी पी पर दिए गए दूध को लाकर टंडा किया जाता है।

कंपनी अपने सदस्यों को बाजार भाव से बहुत कम दाम पर पशु आहार, विशिष्ट खनिज मिश्रण की उपलब्धता भी सुनिश्चित करती है गत वर्ष कुल 4437 मीट्रिक टन उच्च गुणवत्ता वाले पशु आहार और 28098 किलोग्राम विशिष्ट खनिज मिश्रण मुहैया करवाया है।

कंपनी के पास कुशल पशु चिकित्सकों की टीम है जो समय समय पर गाऊं और क्षेत्रों में कैंप लगा कर सदस्यों के पशुओं का उपचार और उससे सम्बंधित जानकारी देती है और पशुओं के रख रखाव और संतुलित आहार पर विस्तृत जानकारी किसानों और सदस्यों तक पहुँचती है ताकि गुणवत्ता युक्त दूध का एकत्रित किया जा सके और सदस्यों को उनके द्वारा दिए जा रहे दूध का उचित दाम मिल सके।

कंपनी की प्रगति में आप के द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ एवं आशा करता हूँ की आपके द्वारा भविष्य में भी इस प्रकार का सहयोग मिलता रहेगा।

आपके द्वारा दिये जाने वाले अमूल्य सुझावों एवं मार्गदर्शन का सदैव स्वागत है।

शुभकामनाओं सहित,

आपका सद्भावी

ह./—

डॉ प्रशांत माण्डव्य

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक



निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित खातों के साथ कंपनी के संचालन पर कंपनी की दूसरी (दूसरी) वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्न हैं।

वित्तीय परिणाम

(रुपए लाख में)

सारांशित वित्तीय परिणाम इस प्रकार हैं:

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
कुल राजस्व	35,509.99	502.11
खर्च सहित कुल लागत	34,545.00	493.11
टैक्स से पहले लाभ/हानि	964.99	9.00
कर व्यय:	254.06	2.29
(1) करंट टैक्स	260	2.90
(2) आस्थगित कर	(5.94)	(.61)
नेट टैक्स एक्सपेंस	254.06	2.29
कर पश्चात लाभ/(हानि)	710.93	6.71

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने रु. 35,509.99 लाख का कारोबार किया है जबकि पिछले वर्ष का कारोबार 502.11 लाख रुपये रहा। क्योंकि पिछले वर्ष कंपनी ने मात्र 11 दिन के लिए कारोबार किया था।

कंपनी ने इस अवधि के दौरान कुल रु. 35,509.99 लाख की आय हासिल की है, जिसमें परिचालन राजस्व रु. 34,632.09 लाख और अन्य आय राशि रु. 877.90 लाख, इस अवधि के दौरान कुल व्यय रु. 34545 लाख कंपनी को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 710.93 लाख रुपये का मुनाफा हुआ है।

सीमित रिटर्न (लाभांश)

आपके निदेशकों को रुपये 8/- प्रति इक्विटी शेयर के लाभांश की अनुशंसा करते हुए खुशी हो रही है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 100/- रुपये के 604934 इक्विटी शेयरों पर यह लाभांश दिया जायेगा। इक्विटी शेयरों पर लाभांश तीसरी वार्षिक आम बैठक ("ए.जी.एम") में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। आगामी ए.जी.एम में सदस्यों के अनुमोदन के बाद लाभांश का भुगतान उन सदस्यों को किया जाएगा जिनका नाम 31 मार्च, 2024 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देगा। यदि मंजूरी मिल जाती है, तो लाभांश के परिणामस्वरूप रुपये 48,39,472.00 का नकद बहिर्वाह होगा।

जनरल रिजर्व में हस्तान्तरण

निदेशक मंडल रुपये लाख की राशि हस्तांतरित करने का प्रस्ताव करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378 ZI के साथ पठित कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में जनरल रिजर्व के खाते में रुपये 662.53 लाख की राशि का हस्तान्तरण किया गया है।

निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आई.ई.पी.एफ) में स्थानांतरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) के प्रावधानों के अनुसार, यदि कंपनी के अवैतनिक लाभांश हस्तांतरित लाभांश के खाते में ऐसे हस्तांतरण की तारीख से सात साल की अवधि के लिए अवैतनिक या लावारिस रहता है, तो ऐसा लावारिस या अवैतनिक लाभांश द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा उप-धारा 125 के तहत स्थापित एक फंड "निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि" ('आईईपीएफ') में अर्जित ब्याज, यदि कोई हो, तो उसको जमा करना अनिवार्य होगा।



समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) की अपेक्षा के अनुसार भुगतान न किए गए/अदावाकृत लाभांश की कोई राशि निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि में अंतरित किए जाने की आवश्यकता नहीं थी।

संचालन अवलोकन

दूध की खरीद:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, 365 दिनों तक, कंपनी ने 3 मिल्क विलिंग सेंटर (एमसीसी) और 41 बल्क मिल्क कूलर (बीएमसी) जिनकी संयुक्त द्रुतशीतन क्षमता 230000 लीटर प्रतिदिन है, हमारे सम्मानित सदस्यों के माध्यम से सीधे 66621270 लीटर 'कच्चा दूध' की प्रभावशाली मात्रा खरीदी।

कंपनी का कार्यक्षेत्र

गत वर्ष 2023-24 में कंपनी उत्तर प्रदेश के रायबरेली, सुल्तानपुर, अयोध्या, प्रतापगढ़, अमेठी, फतेहपुर एवं कानपुर जिलों में 1180 एम.पी.पी 41 बी.एम.सी और 3 एम. सी. सी. के माध्यम से कार्य कर रही थी।

गुणवत्ता आश्वासन

बेहतर गुणवत्ता वाले दूध का संग्रह सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसे प्राप्त करने के लिए, हम किसानों को स्वच्छ दूध उत्पादन तकनीकों पर व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें स्वच्छता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए सशक्त बनाया जाता है। हमारे दूध पूलिंग पॉइंट अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हैं, और हमारे प्रशिक्षित सहायक दूध संग्रह प्रक्रियाओं के दौरान कड़े स्वच्छता प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं।

उत्पादकता वृद्धि सेवाएँ (पीईएस) :

अपनी उत्पादकता संवर्धन सेवाओं (पीईएस) पहलों के माध्यम से, हम अपने सदस्यों को उनकी उत्पादकता और लाभप्रदता को अधिकतम करने में समर्थन देने के लिए समर्पित हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, हमने अपने सदस्यों को कुल 4437 मीट्रिक टन उच्च गुणवत्ता वाले पशु आहार की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान की। यह भी सुनिश्चित किया है कि हमारे सदस्यों के पशुधन को उचित लागत पर इष्टतम पोषण प्राप्त हो, जिससे पशु स्वास्थ्य में वृद्धि और उत्पादकता में सुधार हो सके।

इसके अतिरिक्त, हमने अपने सदस्यों को 28098 किलोग्राम विशिष्ट खनिज मिश्रण प्रदान किया, जो उनके जानवरों की सटीक पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया था।

प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग (पीआईबी) :

प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग (पीआईबी) के प्रयास सदस्यता नामांकन गतिविधियों को कुशलतापूर्वक लागू करने पर केंद्रित हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान, हमने सफलतापूर्वक 54467 सदस्यों को नामांकित किया, जिनमें से 44951 सक्रिय भागीदार के रूप में उभरे। सक्रिय सदस्यता में यह असाधारण वृद्धि कंपनी के संचालन में हमारे सदस्यों के विश्वास को दर्शाती है।

यह एक उल्लेखनीय विकास पथ की शुरुआत करता है, जहां हमारे सामूहिक प्रयास, पारस्परिक सहायता और समर्थन हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।

पी.आई.बी हमारे सदस्यों को उनकी भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और कंपनी द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के बारे में शिक्षित और संवेदनशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा लक्ष्य ज्ञान-साझाकरण और सूचना प्रसार की संस्कृति को बढ़ावा देना है, जिससे हमारे सदस्यों को हमारे संगठन की वृद्धि और सफलता में सक्रिय रूप से योगदान करने के लिए सशक्त बनाया जा सके।

एमपीसी कोर डिजाइन सिद्धांत :

हम अपने मूल डिजाइन सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी व्यावसायिक लेनदेन विशेष रूप से हमारे सदस्यों के साथ आयोजित किए जाएं। यह सिद्धांत हमारे संचालन की नींव बनाता है, इसमें शामिल सभी हितधारकों के लिए पारदर्शिता, विश्वास और साझा समृद्धि सुनिश्चित करता है।



रोजगार सृजन:

सामर्थ्या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करती है, चाहे वह सहायक हो, या मार्ग वाहन ट्रांसपोर्टर, टैंकर ट्रांसपोर्टर, संविदात्मक श्रमिक और साथ ही कंपनी में प्रत्यक्ष रोजगार हो।

सुरक्षा और स्वास्थ्य:

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल प्रदान करती है। कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर हमेशा ध्यान दिया जाता है, विशेषकर उन कर्मचारियों के जो शारीरिक रूप से दूध का प्रबंधन करते हैं।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

सामग्री परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ नहीं हुई हैं जो वित्तीय वर्ष के अंत से संबंधित वित्तीय विवरण और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच हुई हैं।

पूँजी संरचना और शेयरों का निर्गम और सदस्यता

31 मार्च, 2024 तक, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 10 करोड़ रुपये है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने 100 रुपये मूल्य के 582808 इक्विटी शेयर जारी किए हैं। कंपनी की सब्सक्राइब और पेड—अप शेयर पूंजी रुपये थी। 31 मार्च, 2024 को 60493400.00 रुपये थी।

उपरोक्त के अलावा, कंपनी ने कोई भी इक्विटी शेयर या तरजीही शेयर या कोई प्रतिभूति जारी नहीं की है जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों को शेयरों में बदलने का अधिकार या विकल्प हो।

31 मार्च, 2024 तक, कंपनी का कुल सदस्यता आधार 55091 सदस्यों का था। 31 मार्च 2024 के बाद कंपनी ने 17240 नए सदस्यों को नामांकित किया है और 1363 सदस्यों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। इसलिए, इस रिपोर्ट की तारीख तक सदस्यों की कुल संख्या 72331 सदस्य है।

एजीएम में मतदान अधिकार एवं उपस्थिति

कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में मतदान अधिकार के प्रयोग के संबंध में 55091 सदस्यों में से 46931 सदस्यों को तीसरी वार्षिक आम बैठक में प्रस्तावित सभी प्रस्तावों पर अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करने का विशेषाधिकार प्राप्त है।

इसके अलावा, वोट देने के हकदार 46931 सदस्यों में से 26 सदस्यों ने इस रिपोर्ट की तारीख तक अपनी सदस्यता छोड़ दी है, प्रभावी रूप से केवल 46905 सदस्य कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में अपने मतदान अधिकारों का प्रयोग करने के हकदार हैं।

वे सदस्य जिनका नाम 31 मार्च, 2024 को सदस्य के रजिस्टर में दर्ज है, लेकिन बाद में उन्होंने इस तिथि के बाद अपनी सदस्यता छोड़ दी, वे अभी भी वित्तीय वर्ष 2023—24 के लिए लाभांश प्राप्त करने के पात्र होंगे, यदि तीसरी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। हालाँकि, वे एजीएम में उपस्थिति और मतदान सहित सदस्यता से जुड़े किसी भी अन्य अधिकार या लाभ के हकदार नहीं होंगे, क्योंकि वे कंपनी के सदस्य नहीं रह गए हैं। इसी तरह, जो सदस्य 31 मार्च, 2024 के बाद कंपनी के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे, वे वित्तीय वर्ष 2023—24 के लिए आगामी एजीएम में लाभांश और मतदान के अधिकार के हकदार नहीं होंगे।

उपस्थित होने और मतदान करने के हकदार प्रत्येक सदस्य को केवल एक वोट का अधिकार होगा।

बोर्ड बैठकें

कंपनी के व्यवसाय के लेन—देन के लिए बोर्ड की समय—समय पर बैठकें होती हैं और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, छह बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं। वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों का विवरण इस प्रकार है :—



बोर्ड बैठक की सं.	बोर्ड बैठक की तारीख	कुल निदेशकों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
8th	18/05/2023	6	5
9th	17/07/2023	7	6
10th	04/09/2023	7	7
11th	04/11/2023	7	7
12th	29/12/2023	7	7
13th	22/02/2024	7	7

कमेटी मीटिंग

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (5) की आवश्यकता के अनुसरण में, कंपनी के शेयरधारकों की शिकायत को हल करने के लिए बोर्ड द्वारा हितधारक संबंध समिति का 02 फरवरी, 2023 को गठन किया गया था। समिति में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. श्रीमती लक्ष्मी देवी, अध्यक्ष
2. श्रीमती कुमकुम, सदस्या और
3. डॉ. प्रशांत मांडव्य, सदस्य

समिति की एक बैठक हुई थी, जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है:

स्टेकहोल्डर रिलेशनशिप कमेटी की बैठक सं 2012	समिति की बैठक की तिथि	समिति की संख्या	उपस्थित सदस्य की संख्या
1st	17/07/2023	3	3

सदस्यता संबंधी समिति की बैठक

समिति में शामिल हैं:

1. डॉ. प्रशांत मांडव्य (मुख्य कार्यकारी), अध्यक्ष
2. श्री अनूप किशोर, सदस्य
3. श्री सैयद फजलुर रहमान, सदस्य
4. श्री उदभव प्रताप सिंह, सदस्य

समिति का गठन 18 मई, 2023 को किया गया था, समिति की एक बैठक में विवरण नीचे दिया गया है:

सदस्यता संबंध समिति की बैठक सं	समिति की बैठक की तिथि	समिति की संख्या	उपस्थित सदस्य की संख्या
1st	01/01/2023	4	4

निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक के भुगतान और उनके कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित कंपनी की नीति।

निदेशक पद में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान श्रीमती अनामिका (डीआईएन : 09554865) और श्रीमती तेज कुमारी (डीआईएन: 09554761) सेवानिवृत्त हो गईं और 22/09/2023 को आयोजित कंपनी की दूसरी वार्षिक आम बैठक में



निदेशक के रूप में फिर से चुनी गई।

डॉ. रघु हसन मल्लेगौड़ा (डीआईएन:08936193) को 06.05.2023 से दो साल की अवधि के लिए कंपनी के बोर्ड में विशेषज्ञ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन अन्य अत्यावश्यकताओं और जिम्मेदारियों के कारण उन्होंने 14.02.2024 को अपना इस्तीफा दे दिया।

श्री. आलोक कुमार गुप्ता (डीआईएन: 03159741) को 22.02.2024 से दो साल की अवधि के लिए कंपनी के बोर्ड में विशेषज्ञ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

अनुच्छेद 9.6 में प्रावधान है कि कुल निर्वाचित निदेशकों में से एक चौथाई प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे और जो निदेशक अपनी अंतिम नियुक्ति के बाद से सबसे लंबे समय तक पद पर रहे हैं वे सेवानिवृत्त होंगे। अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, एक ही दिन निदेशक बनने वाले व्यक्तियों के बीच, जो लोग सेवानिवृत्त होने वाले हैं, वे आपस में किसी भी समझौते के अधीन डिफॉल्ट रूप से लॉटरी द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए श्रीमती अनामिका (डीआईएन:09554865) और श्रीमती तेज कुमारी (डीआईएन: 09554761) की सेवानिवृत्ति को आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा निर्धारित किया जायेगा। दोनों निदेशक आगामी तीसरी एजीएम में सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

निदेशक मंडल की संरचना और आगामी एजीएम में निदेशकों की नियुक्ति/सेवानिवृत्ति

कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 9.4 से आर्टिकल 9.6 तक बोर्ड की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 9.4 सदस्यों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के लिए मानदंड प्रदान करता है, अनुच्छेद 9.5 में प्रावधान है कि जहां तक संभव हो, बोर्ड में प्रतिनिधित्व संबंधित वर्ग के संरक्षण पर आधारित होगा।

निदेशक मंडल ने 20.03.2022 को आयोजित अपनी दूसरी बैठक में कंपनी की 7वीं वार्षिक आम बैठक तक कक्षा की प्रयोज्यता को माफ कर दिया है हलाकि बाद में कंपनी की पहली आम सभा में इस सीमा को घटाकर 3 आम सभा के बाद से लागू करने का प्रस्ताव सदस्यों द्वारा पारित किया गया था और 7 वी आम सभा के प्रावधान को निरस्त कर दिया गया था।

स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण:-

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि—

- ए) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में, अधिनियम की अनुसूची VIII के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के साथ पढ़े गए लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और इससे कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं हुआ है।
- बी) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया था और निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि कंपनी के मामलों की स्थिति और वर्ष के लिए कंपनी के लाभ का सही और निष्पक्ष दृश्य दिया जा सके।
- ग) निदेशकों ने कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की थी।
- घ) निदेशकों ने वार्षिक खाते 'चालू संस्था' के आधार पर तैयार किए थे।
- ई) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की थीं और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।



आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी के पास उचित और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी संपत्तियां सुरक्षित और संरक्षित हैं और लेनदेन अधिकृत, रिकॉर्ड और सही ढंग से रिपोर्ट किए गए हैं। वर्ष के दौरान, ऐसे नियंत्रणों का परीक्षण किया गया और डिजाइन या संचालन में कोई रिपोर्ट करने योग्य सामग्री कमजोरी नहीं देखी गई।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZF के अनुसार, मेसर्स अर्नस्ट एंड यंग एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता का मूल्यांकन किया है और समवर्ती रूप से अधिकांश लेनदेन का ऑडिट किया है।

वैधानिक लेखा परीक्षक

मेसर्स अजय गोयल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कंपनी की पहली वार्षिक आम बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में होने वाली कंपनी की 6वीं वार्षिक आम बैठक के समापन तक कार्यालय संचालन के लिए नियुक्त किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है। हालांकि वैधानिक लेखा परीक्षक ऑडिट ट्रेल पर अपने सुझाव दिए हैं वित्त एवम लेखा विभाग, मानव ससांधन विभाग और सूचना एवम टेक्नोलॉजी विभाग के द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले ई.अर. पी. को कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुरूप ऑडिट ट्रेल को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है वैधानिक लेखा परीक्षक इस सन्दर्भ में यह भी इस्पस्ट किया है की इसका कंपनी के वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

धोखाधड़ी के सन्दर्भ में लेखापरीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई टिप्पणी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, वैधानिक लेखा परीक्षकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के तहत कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी का कोई भी मामला मामला की रिपोर्ट बोर्ड को नहीं दी है जिसका विवरण इसमें उल्लेख करना आवश्यक हो।

आंतरिक लेखा परीक्षक

मेसर्स अर्नस्ट एंड यंग एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZF और बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके तहत आंतरिक लेखा परीक्षक वर्ष में चार बार सभी कार्यात्मक क्षेत्रों में व्यापक लेखा परीक्षा करते हैं और अपनी रिपोर्ट बोर्ड को समय समय पर सौंपा है।

होलिडिंग / सहायक / सहयोगी कंपनियाँ

कंपनी की कोई होलिडिंग / सहायक / सहयोगी कंपनी नहीं है।

जमा

कंपनी ने समय-समय पर संशोधित कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के तहत किसी भी जमा को न तो स्वीकार किया है और न ही नवीनीकृत किया है।

ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अर्थ के तहत कोई ऋण नहीं दिया है, न ही कोई गारंटी या प्रतिभूतियां दी हैं या निवेश किया है।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध और व्यवस्थाएँ

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दर्ज किए गए सभी संबंधित पक्ष लेनदेन आर्मस लेंथ के आधार पर थे और व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में थे। इसके अलावा, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा प्रमोटरों, निदेशकों या अन्य नामित व्यक्तियों के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं किया गया है। इस प्रकार, फॉर्म ए.ओ. सी-2 में प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, लेखांकन मानक -18 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण के अनुसार, वर्ष के लिए संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन का खुलासा 31 मार्च, 2024 तक बैलेंस शीट के नोट नंबर 36 में दिया गया है।



कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.)

कंपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत उल्लिखित मानदंडों को पूरा नहीं करती है। इसलिए, सीएसआर से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

जोखिम प्रबंधन

कंपनी ने जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है और इसे बोर्ड द्वारा अपनाया गया है।

जोखिम प्रबंधन जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और प्राथमिकता निर्धारण की प्रक्रिया है जिसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की संभावना या प्रभाव को कम करने, निगरानी करने और कम करना / नियंत्रित करने या अवसरों की प्राप्ति को अधिकतम करने के लिए समन्वित प्रयास किए जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए इन प्रक्रियाओं की समीक्षा की जाती है कि प्रबंधन उचित रूप से परिभाषित ढांचे के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित करता है। कंपनी द्वारा प्रमुख जोखिमों की पहचान की गई है और व्यवसाय, वित्तीय, मानव और वैधानिक अनुपालन आदि जैसे क्षेत्रों में इसकी शमन प्रक्रिया / उपाय तैयार किए गए हैं।

ऊर्जा का संरक्षण, अनुसंधान और विकास, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा अर्जन और बाहर जाना।

(i) ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण

ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधानों के तहत अपेक्षित विवरण समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा की गई गतिविधियों की प्रकृति को देखते हुए प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

(ii) विदेशी मुद्रा आय और व्यय

कमाई — शून्य

आउटगो — शून्य

कंपनी के पास सामान्य कार्यालय और बिजली के उद्देश्यों को छोड़कर कोई बिजली की खपत नहीं है।

सतर्कता तंत्र

कंपनी सतर्कता तंत्र से संबंधित कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ी गई धारा 177(9) के तहत उल्लिखित मानदंडों को पूरा नहीं करती है। इसलिए, सतर्कता तंत्र से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

नियामकों, न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण।

नियामकों, अदालतों, न्यायाधिकरणों द्वारा भविष्य में कंपनी की वर्तमान स्थिति और संचालन को प्रभावित करने वाला कोई महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है।

लागत रिकॉर्ड

कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) संशोधन नियम, 2014 के प्रावधान, जिसमें कोई भी संशोधन शामिल है, लागत लेखापरीक्षा कंपनी पर लागू नहीं है।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर बोर्ड की टिप्पणी

वैधानिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ, जब खातों और लेखांकन नीतियों के प्रासंगिक नोट्स के साथ पढ़ी जाती हैं, तो स्व-व्याख्यात्मक होती हैं और किसी और टिप्पणी की आवश्यकता नहीं होती है।

सचिवीय मानक

कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

वार्षिक रिटर्न का वेब लिंक

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3), धारा 134(3)(ए) के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2024 तक कंपनी का वार्षिक रिटर्न कंपनी की वेबसाइट



www.saamarthyamilk.com पर उपलब्ध है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत खुलासा।

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है।

वर्ष के दौरान कंपनी में यौन उत्पीड़न की कोई घटना दर्ज नहीं की गई।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016

वर्ष के दौरान दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 के प्रावधानों के तहत कोई आवेदन नहीं किया गया और न ही किसी बैंक के साथ कोई एकमुश्त निपटान किया गया।

कर्मचारियों का विवरण

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के किसी भी कर्मचारी को अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा से अधिक वेतन नहीं मिला। तदनुसार, संशोधित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अनुसार कर्मचारियों का कोई विवरण नहीं दिया जा रहा है।

एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर का विवरण और उसके कारण।

कंपनी पर लागू नहीं

सराहना और आभार

निदेशक मंडल समीक्षाधीन अवधि के दौरान सदस्यों, व्यावसायिक सहयोगियों, बैंकरों और वैधानिक और आंतरिक दोनों लेखा परीक्षकों के समर्थन और योगदान के लिए उनकी सराहना करता है। निदेशकों ने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए सभी स्तरों पर कर्मचारियों की कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए उनकी गहरी सराहना की।

निदेशक मंडल वर्ष के दौरान उनके सहयोग और समर्थन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपी सरकार), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज, मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड के प्रति भी अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह./—

लक्ष्मी देवी

अध्यक्ष एवं निदेशक

डीआईएन : 09554762

स्थान : रायबरेली

दिनांक : 31.08.2024



स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सदस्य

सामर्थ्या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट :

हमने सामर्थ्या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2024 की बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण शामिल हैं, और फाइनैसियल स्टेटमेंट्स के नोट, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है। हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा आवश्यक तरीके से आवश्यक जानकारी देते हैं और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के मामलों की स्थिति, और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसका लाभ और इसका नकदी प्रवाह।

राय का आधार

हमने अपना ऑडिट कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग मानकों के अनुसार किया उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग के ऑडिट के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ-साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं इसके तहत, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किया है वह हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी तैयार करने के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक, व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट सहित बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं हैं।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी हमारे ऑडिट के दौरान या अन्यथा प्राप्त वित्तीय विवरणों या हमारे ज्ञान के साथ भौतिक रूप से असंगत है ऐसा प्रतीत होता है कि इसे भौतिक रूप से गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी हुई है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।



वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन तदनुसार भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के साथ, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक भी शामिल हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है। उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे वित्तीय विवरण जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक गलतबयानी से मुक्त होते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन एक चालू संस्था के रूप में कंपनी को जारी रखने की क्षमता का आकलन करने, चालू संस्था से संबंधित मामलों का, जैसा लागू हो, खुलासा करने और लेखांकन के चालू चिंता के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को समाप्त करने का इरादा न रखता हो या संचालन बंद कर देना चाहिए या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है। वे निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएसए के अनुसार आयोजित ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर एक महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित उम्मीद की जा सकती है।

हम भी: एसए के अनुसार ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं।

- वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुई किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न चल पाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप हुई किसी सामग्री की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों में उपयुक्त ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।



- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के चालू चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी एक चालू संस्था के रूप में काम करना बंद कर सकती है।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

भौतिकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की भयावहता है, जो व्यक्तिगत या समग्र रूप से, यह संभव बनाती है कि वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणाम का मूल्यांकन करने में भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं। और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभावों का मूल्यांकन करना।

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित, जिन्हें हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं, के संबंध में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम उन लोगों को एक बयान भी प्रदान करते हैं जिन पर शासन का आरोप है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी रिश्तों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करने के लिए जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर असर डालने वाले हो सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित हो सकते हैं सुरक्षा उपाय

बचाव

जमानत

भय—मुक्ति

रक्षक सैन्य—दल

रक्षा करना

बचाना

बचाव करना

हिफाजत कर देना



शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम उचित होंगे इस तरह के संचार के जनहित लाभों से अधिक होने की उम्मीद है। अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (ऑडिटर रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित है, हम "अनुलग्नक ए" में एक बयान देते हैं। लागू सीमा तक आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामले।

2. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA की धारा 378ZG द्वारा अपेक्षित है, हम उस अनुभाग में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण "अनुलग्नक बी" में देते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

ए. हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

बी. हमारी राय में, नियम 11 के तहत रिपोर्टिंग पर नीचे पैराग्राफ 'जी(viii)' में बताए गए मामलों को छोड़कर, जहां तक उन किताबों की हमारी जांच से पता चलता है, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाते की किताबें रखी गई हैं। (जी)।

सी. बैलेंस शीट, और लाभ और हानि का विवरण, और इस रिपोर्ट में शामिल नकदी प्रवाह विवरण खाते की किताबों के अनुरूप हैं।

डी. हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

ई. 31 मार्च, 2024 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन को निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर लेने के आधार पर, कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2024 को धारा 164 के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है (2) अधिनियम का।

एफ. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक सी" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

जी. कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. लंबित मुकदमों की स्थिति वित्तीय विवरणों के नोट '32' में बताई गई है। जैसा कि कंपनी के प्रबंधन ने बताया है, इससे उसकी वित्तीय स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

ii. कंपनी के पास डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण अनुमानित हानि हो।



iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।

iv. प्रबंधन ने दर्शाया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि खातों के नोटों में बताया गया है, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण कोई भी धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम से) या कोई अन्य स्रोत या कंपनी द्वारा या विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं को, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा। अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं की पहचान की गई किसी भी तरीके से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करना। वित्तीय विवरणों में नोट "47" देखें।

v. प्रबंधन ने दर्शाया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि खातों के नोट्स में बताया गया है, कंपनी को विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियों") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। समझ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही चीज प्रदान करेगी। अंतिम लाभार्थियों की ओर से वित्तीय विवरणों में नोट "48" देखें।

vi. निष्पादित ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उचित माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन प्रदान किए गए हैं ऊपर (iv) और (v) में कोई सामग्री शामिल है गलत बयानी।

गलत बयान

झूठा वर्णन

झूठा बयान

मिथ्या कथन

अशुद्ध वर्णन

vii. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभंश नहीं दिया है। इसलिए अधिनियम की धारा 123 के प्रावधान वर्ष के लिए लागू नहीं हैं।

viii. कंपनी के प्रबंधन और हमारी जांच से प्राप्त स्पष्टीकरणों के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच भी शामिल है, कंपनी ने अपने खाते की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए "टैली प्राइम एडिट लॉग" अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) को रिकॉर्ड करने की सुविधा है) विशेषता। हालाँकि, सॉफ्टवेयर "सार्थक" का उपयोग दूध संग्रह और दूध देने वालों को देय राशि के लेखांकन के लिए किया जाता है और ऐप आधारित एप्लिकेशन "सामर्थ्या सदस्य पंजीकरण" का उपयोग सदस्यों से सदस्यता शुल्क और शेयर आवेदन राशि के संग्रह के लिए किया जाता है, और सॉफ्टवेयर "मपै.हबेमतअपबमे" का उपयोग प्रसंस्करण के लिए किया जाता है। कापे रोल जिसके माध्यम से तीसरे पक्ष द्वारा संचालित किया जाता है, उसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा नहीं है कंपनी दिनांक 01.10.19 से "टैली प्राइम" सॉफ्टवेयर से "टैली प्राइम एडिट लॉग" अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में स्थानांतरित हो गई। 23.08.2023 और ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी लेनदेन के लिए 18.08.2023 से 31.03.2024 तक की पूरी अवधि में काम कर रही है और ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है और ऑडिट ट्रेल को संरक्षित किया गया है कंपनी द्वारा



वैधानिक रूप से रिकार्ड प्रतिधारण के लिए आवश्यकताएँ। हालाँकि, लेखांकन सॉफ्टवेयर में दर्ज वाउचरों में कई बदलाव हुए थे, लेकिन कंपनी के प्रबंधन से हमें प्राप्त स्पष्टीकरण और ऑडिट के दौरान हमारे द्वारा किए गए परीक्षण जांच के अनुसार, कुछ भी प्रतिकूल नहीं देखा गया, जिसका वित्तीय पर कोई प्रभाव पड़ सकता है। बयान।

(31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सामर्थ्या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों के लिए हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के पैराग्राफ '1' में संदर्भित)

ऐसी जाँचों के आधार पर जिन्हें हमने उचित समझा और हमारे ऑडिट के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम कहते हैं कि:

1. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में:

- अ. (i) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थान सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
- (ii) कंपनी ने अमूर्त संपत्तियों का पूरा विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं।
- बी. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में सत्यापन का कार्यक्रम कंपनी के आकार और इसकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित है। संपत्तियाँ। खाते की पुस्तकों और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के भौतिक सत्यापन के बीच कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं देखी गई।
- सी. कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (i)(सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- डी. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (संपत्ति के उपयोग के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- ई. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के खिलाफ वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

2. इन्वेंटरी के संबंध में

- अ. वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में, ऐसे सत्यापन की आवृत्ति उचित है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा की गई जांच के अनुसार, ऐसे सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियाँ नहीं देखी गईं।
- बी. कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई थी। इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (ii)(बी) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

3. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (iii)(ए), (iii)(बी) और (iii)(सी) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।



4. कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया है या कोई निवेश नहीं किया है या कोई गारंटी और सुरक्षा नहीं दी है, जहां कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधान लागू हैं। अतः आदेश की कंडिका 3 के खण्ड (iv) के प्रावधान लागू नहीं होते।
5. कंपनी ने जमा स्वीकार नहीं किया है। अतः आदेश की कंडिका 3 के खण्ड (अ) के प्रावधान लागू नहीं होते।
6. केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के लिए अधिनियम की धारा 148 (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है। इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (vi) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
7. वैधानिक अनुपालन के संबंध में

ए. माल और सेवा कर, भविष्य निधि, आयकर और कंपनी पर लागू अन्य भौतिक वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया आम तौर पर उचित अधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा किया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और अन्य वैधानिक बकाया के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

माल और सेवा कर, भविष्य निधि, आयकर और अन्य भौतिक वैधानिक बकाया के संबंध में 31 मार्च, 2024 तक उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई निर्विवाद राशि देय नहीं थी।

बी. भविष्य निधि, आयकर, वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में ऐसी कोई राशि नहीं थी, जो 31 मार्च, 2024 तक किसी विवाद के कारण उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा नहीं की गई हो।

8. ऐसा कोई लेनदेन नहीं है, जो खाते की किताबों में दर्ज नहीं किया गया है, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किया गया है।
9. किसी बैंक से 8000 लाख रुपये की इनवॉइस डिस्काउंटिंग सुविधा को छोड़कर, कंपनी ने वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार या डिबेंचर धारकों से कोई ऋण या उधार नहीं लिया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं

क) कंपनी ने वर्ष के दौरान उधारों के पुनर्भुगतान या ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

ग) कंपनी ने कोई सावधि ऋण प्राप्त नहीं किया है।

घ) कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई किसी भी धनराशि का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।

ई) वर्ष के दौरान कंपनी की कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं थी। इसलिए आदेश के खंड (ix)(ई) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

च) वर्ष के दौरान कंपनी की कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं थी। इसलिए आदेश के खंड (ix)(एफ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

10. कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) और सावधि ऋण के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड 3 (x) के



प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

11. कंपनी पर या उसके द्वारा धोखाधड़ी के संबंध में

- ए. हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी देखी या रिपोर्ट नहीं की गई है।
- बी. कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत वर्ष के दौरान और इससे पहले तक केंद्र सरकार के साथ कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है। इस रिपोर्ट की तारीख.
- सी. जैसा कि प्रबंधन ने हमें बताया है, वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी को कोई व्हिसिल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

12. कंपनी निधि कंपनी नहीं है : अतः आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (xii) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

13. हमारी राय में, कंपनी संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन-देन के लिए, जहां लागू हो, कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 का अनुपालन करती है और संबंधित पार्टी के लेन-देन के वित्तीय विवरणों आदि प्रकट किए गए हैं, जैसा कि लागू लेखांकनमानक के लिए आवश्यक है।

मापदंड

उहराव

मोरचा

धानी

14. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली के संबंध में

ए. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

बी. हमारे ऑडिट के दौरान ऑडिट अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार किया गया।

- 15. कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। अतः आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (xv) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- 16. कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45IA के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (xvi) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- 17. कंपनी को वित्तीय वर्ष और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में नकद घाटा नहीं हुआ है।
- 18. वर्ष के दौरान किसी सांविधिक लेखा परीक्षक का इस्तीफा नहीं हुआ है।
- 19. वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने और वित्तीय संपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ जुड़ी अन्य जानकारी और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और हमारी जांच के आधार पर धारणाओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास होता है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख के अनुसार कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो दर्शाता है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख में मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा



करने में सक्षम नहीं है। वे गिर जाते हैं बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय। हालाँकि, हम बताते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों का भुगतान किया जाएगा। कंपनी जब भी उनका बकाया हो।

20. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। अतः आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (xx) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
21. समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने से संबंधित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि इसकी कोई सहायक कंपनी नहीं है। अतः आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (xxi) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'बी'

(31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सामर्थ्या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों के लिए हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के पैराग्राफ '2' में संदर्भित)

ऐसी जांचों के आधार पर जिन्हें हमने उचित समझा और हमारे ऑडिट के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से देय ऋण की राशि वित्तीय विवरणों के नोट संख्या '17' में बताई गई है। ऐसा कोई ऋण नहीं है जिसकी वसूली संदिग्ध मानी जाए।
2. कंपनी के पास वर्ष के अंत में कोई नकदी नहीं है और यह कोई निवेश प्रतिभूतियां नहीं रखती है।
3. संपत्ति और देनदारियों का विवरण 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुसार है।
4. ऐसा कोई लेनदेन नहीं है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के विपरीत प्रतीत हो।
5. कंपनी ने अपने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।
6. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई दान या सदस्यता नहीं दी है।
7. ऐसा कोई अन्य मामला नहीं है जिसे रिपोर्ट किया जाना आवश्यक समझा जाए।
8. वर्ष के दौरान, कंपनी ने बिना किसी सुरक्षा के बैंक से उधार (चालान छूट योजना के तहत) लिया है। कंपनी ने बैंक में कोई रिटर्न या स्टेटमेंट दाखिल नहीं किया है क्योंकि बैंक के मंजूरी पत्र के अनुसार ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी।

ए.के. गोयल

सदस्यता संख्या: 071257

पार्टनर

अजय गोयल एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन: 02107सी



लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक सी

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सामर्थ्या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों के लिए हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के पैराग्राफ '3(एफ)' में संदर्भित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के ऑडिट के साथ-साथ 31 मार्च, 2024 तक सामर्थ्या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का ऑडिट किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी कंपनी का प्रबंधन आंतरिक लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय नियंत्रण। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, रोकथाम सहित इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे और धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी ऑडिटिंग मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया और कंपनी अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माना जाता है।, 2013, लागू सीमा तक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होती हैं और, दोनों भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी की जाती हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं सभी भौतिक दृष्टियों से। हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, भौतिक कमजोरी मौजूद होने के जोखिम का आकलन करना और आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय



नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं। (2) उचित प्रदान करना आश्वासन दिया गया है कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं कंपनी और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों को ओवरराइड करने की संभावना भी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या अनुपालन की डिग्री के कारण नीतियाँ या प्रक्रियाएँ बिगड़ सकती हैं।

विचार

सम्पत्ति

मान्यता

समझ

तजवीज

खयाल

अभिमत

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी कार्यालय ने सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण काम कर रहे थे। 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी रूप से, कंपनी द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया।

ए.के. गोयल

सदस्यता संख्या : 071257

पार्टनर

अजय गोयल एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन : 02107सी

लखनऊ : अगस्त 31, 2024

UDIN : 24071257BKDZMA9466



सामर्थ्या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

CIN: U01100UP2022PTC161571

मार्च 31, 2024 तक बैलेंस शीट

	नोट नं.	31.03.2024 रुपये लाख में	31.03.2023 रुपये लाख में
इक्विटी और देनदारियां			
शेयरधारक के फंड			
शेयर कैपिटल	3	604.93	99.07
भंडार और अधिशेष	4	717.64	6.71
		1,322.57	105.78
शेयर आवेदन का पैसा लंबित आवंटन	5	53.44	9.93
आस्थगित अनुदान	6	1,951.47	5.11
गैर-चालू देनदारियां			
अन्य दीर्घकालिक देनदारियां	7	2,018.02	—
दीर्घकालिक प्रावधान	8	18.46	—
		2,036.48	—
वर्तमान देनदारियां			
अल्पकालिक उधार	9	7,223.17	—
व्यापार देय	10	1,114.51	455.59
अन्य वर्तमान देनदारियां	11	698.26	19.38
अल्पकालिक प्रावधान	12	264.55	6.41
		9,300.49	481.38
कुल		14,764.46	602.20
संपत्ति			
गैर-चालू संपत्ति			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण			
मूर्त संपत्ति	13	1,525.49	4.58
अमूर्त संपत्ति	13	9.83	0.53
पूँजीगत कार्य-प्रगति	14	420.67	—
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	15	6.23	0.61
		1,962.23	5.72
वर्तमान संपत्ति			
इन्वेंट्रीज	16	309.70	13.79
व्यापार प्राप्य	17	8,983.54	438.99
नकद और नकद समकक्ष	18	3,125.74	87.97
अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	19	313.90	4.33
अन्य वर्तमान संपत्तियां	20	69.35	51.40
		12,802.23	596.48
कुल		14,764.46	602.20
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	2	—	—
संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।			

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

प्रशांत मांडव्य
निदेशक और मुख्य कार्यकारी
DIN: 09718702

लक्ष्मी देवी
अध्यक्ष — निदेशक
DIN: 09554762

कुमकुम
निदेशक
DIN: 09554864

ए. के. गोयल
(ICAI Mem- No. 071257)
पार्टनर
के लिए और की ओर से
अजय गोयल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
DIN: 02107C

उद्भव प्रताप सिंह
कंपनी सचिव
M.No. 38638
रायबरेली:

आशीष चौबे
प्रबंधक (लेखा और वित्त)

लखनऊ:
UDIN: 24071257BKDZMA9466



सामर्थ्या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

CIN: U01100UP2022PTC161571

मार्च 31, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

	नोट नं.	31.03.2024 रुपये लाख में	31.03.2023 रुपये लाख में
आय			
संचालन से राजस्व	21	34,632.09	436.07
अन्य आय	22	877.90	66.04
कुल आय		35,509.99	502.11
खर्च			
स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद	23	30,645.34	406.84
खरीद खर्च (खरीद व्यय)	24	2,364.07	29.21
स्टॉक-इन-ट्रेड की इन्वेंट्री में बदलाव	25	(295.91)	(13.79)
कर्मचारी लाभ खर्च	26	435.54	36.51
वित्त लागत	27	56.41	—
मूल्यहास और परिशोधन खर्च	28	1.68	2.05
अन्य खर्च	29	1,337.87	32.29
कुल खर्च		34,545.00	493.11
असाधारण और असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ		964.99	9.00
असाधारण आइटम		—	—
असाधारण वस्तुओं से पहले लाभ, पूर्व अवधि की वस्तु और कर		964.99	9.00
असाधारण आइटम		—	—
टैक्स से पहले लाभ		964.99	9.00
टैक्स खर्च			
वर्तमान कर		260.00	2.90
पहले के वर्षों के लिए		(0.32)	—
आस्थगित कर		(5.62)	(0.61)
		254.06	2.29
निरंतर संचालन से अवधि के लिए लाभ		10.93	6.71
परिचालन बंद करने की अवधि के लिए लाभ/(हानि)		—	—
परिचालन बंद करने का कर व्यय		—	—
परिचालन बंद करने से लाभ/(हानि) (कर के बाद)		—	—
वर्ष के लिए लाभ		710.93	6.71
प्रति इक्विटी शेयर आय	29		
(नाममात्र मूल्य रु. 100 प्रति शेयर)			
मूलवर्ती	रु.	259.39	51.28
डाईलुटेड	रु.	252.07	50.77
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	2		
संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं			

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

प्रशांत मांडव्य
निदेशक और मुख्य कार्यकारी
DIN: 09718702

लक्ष्मी देवी
अध्यक्ष - निदेशक
DIN: 09554762

कुमकुम
निदेशक
DIN: 09554864

ए. के. गोयल
(ICAI Mem- No. 071257)
पार्टनर
के लिए और की ओर से
अजय गोयल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
DIN: 02107C

उद्भव प्रताप सिंह
कंपनी सचिव
M.No. 36638
रायबरेली:

आशीष चौबे
प्रबंधक (लेखा और वित्त)

लखनऊ:
UDIN: 24071257BKDZMA9466



सामर्थ्या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

CIN: U01100UP2022PTC161571

मार्च 31, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट

	वर्ष समाप्ती पर 31.03.2024 रुपये लाख में	वर्ष समाप्ती पर 31.03.2023 रुपये लाख में
ए. ऑपरेटिंग गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर से पहले लाभ / (हानि)	964.99	9.00
समायोजन : वर्तमान कर के लिए		
डेप्रिस्विएशन और एमॉर्टाइजेशन खर्च	1.68	—
उधार लेने की लागत	56.41	—
ब्याज आय	(177.29)	—
कार्यशील पूंजी में बदलाव से पहले परिचालन लाभ	845.79	9.00
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन:		
व्यापार और अन्य प्राप्य	(8,544.56)	(438.99)
माल-सूची में वृद्धि / कमी	(295.91)	(13.79)
व्यापार और अन्य देय	1,337.79	474.97
अल्पकालिक प्रावधान	258.15	6.41
दीर्घकालिक प्रावधान	18.46	—
अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	(309.57)	(4.33)
अन्य वर्तमान संपत्तियां	(17.94)	(51.40)
अन्य दीर्घकालिक देनदारियां	2,018.02	—
ऑपरेशन से नकदी उत्पादन	(4,689.77)	(18.13)
प्रत्यक्ष करों का भुगतान	(259.68)	(2.90)
नेट कैश उत्पन्न / (प्रयुक्त) — परिचालन गतिविधियां	(4,949.45)	(21.03)
बी. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल संपत्तियों की बिक्री / (खरीद) (शुद्ध)	(2,055.47)	(5.21)
ब्याज आय	177.29	—
बैंक शेष को नकद और नकद समकक्ष नहीं माना जाता है	(2,817.39)	—
नेट कैश उत्पन्न / (प्रयुक्त) — निवेश गतिविधियां	(4,695.56)	(5.21)
सी. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अल्पावधि उधार (निवल) की प्राप्ति / (चुकोती)	7,223.17	—
अनुदान से आय	2,049.27	5.21
उधार लेने पर ब्याज	(56.41)	—
शेयर एप्लीकेशन मनी से आय	143.51	9.93
इक्विटी शेयर पूंजी के निर्गम से प्राप्त आय	505.86	99.07
(सरेंडर किए गए शेयरों का नेट)		
निवल नकद उत्पन्न / (प्रयुक्त) — वित्तीय कार्यकलाप	9,865.40	114.21
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि /	220.39	87.97
जोड़ें: नकद और नकद समकक्ष खोलना	87.97	—
नकद और नकद समकक्ष बंद करना	308.36	87.97
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	(0.00)	—
संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।		
कोष्ठक में आंकड़े बहिर्वाह का प्रतिनिधित्व करते हैं		

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

प्रशांत मांडव्य
निदेशक और मुख्य कार्यकारी
DIN: 09718702

लक्ष्मी देवी
अध्यक्ष — निदेशक
DIN: 09554762

कुमकुम
निदेशक
DIN: 09554864

ए. के. गोयल
(ICAI Mem- No. 071257)
पार्टनर
के लिए और की ओर से
अजय गोयल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
DIN: 02107C

उद्भव प्रताप सिंह
कंपनी सचिव
M.No. 36638
रायबरेली:

आशीष चौबे
प्रबंधक (लेखा और वित्त)

लखनऊ:
UDIN: 24071257BKDZMA9466



खातों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स

1. कॉर्पोरेट सूचना

सामर्थ्य दुग्ध उत्पादक कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") को 30 मार्च, 2022 को कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XX1-1 के तहत मुख्य रूप से सदस्यों के दूध और दूध उत्पादों के पूलिंग, खरीद और प्रसंस्करण के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के मुख्य उद्देश्य के साथ शामिल किया गया था, ताकि प्रजनन, चारा/चारा के क्षेत्र में तकनीकी और प्रबंधकीय सेवाएं प्रदान की जा सकें। सदस्यों के लाभ के लिए दूध उत्पादन बढ़ाने और उन गतिविधियों से निपटने के लिए पशु चिकित्सा सेवाएं जो इससे संबंधित किसी भी गतिविधि का हिस्सा या आकस्मिक हैं।

वर्ष के दौरान, कंपनी उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली, सुल्तानपुर, फतेहपुर और अमेठी के गांवों में दूध पूलिंग बिंदुओं पर दूध उत्पादकों से सीधे दूध खरीदकर और डेयरियों को बिक्री करके दूध के व्यापार में लगी हुई थी।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

ए. लेखांकन का आधार

"कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों ("नया अधिनियम") के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का पालन करने के लिए भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अन्तर्गत प्रोद्भव आधार पर तैयार किए गए हैं।

"सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार वर्तमान या गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की प्रकृति और नकद और नकद समकक्ष में उनकी वसूली के आधार पर, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के वर्तमान-गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को 12 महीने का होने का पता लगाया है।

बी. लेखांकन की प्रणाली

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के तहत लेखांकन के प्रोद्भव आधार पर तैयार किए जाते हैं और महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं के मामले को छोड़कर प्रोद्भव आधार पर आय और व्यय को मान्यता देते हैं।

सी. अनुमानों का उपयोग

भारतीय GAAP के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को वर्ष के दौरान संपत्ति और देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सहित) और रिपोर्ट की गई आय और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि में विचार किए गए अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए जाने वाले अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। इन अनुमानों के कारण भविष्य के परिणाम भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणाम और अनुमानों के बीच अंतर उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात है।

डी. कैश फ्लो स्टेटमेंट

कैश फ्लो स्टेटमेंट 'कैश फ्लो स्टेटमेंट' पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड (एएस) 3 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है, जिससे असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ/(हानि) को गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है और पिछले या भविष्य की नकद प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी डिफरल या प्रोद्भवन के लिए।

कंपनी के परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह को उपलब्ध जानकारी के आधार पर अलग किया जाता है।

नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजन के लिए, नकदी में हाथ पर नकदी और बैंकों के साथ मांग जमा शामिल है। नकद समकक्ष अल्पकालिक शेष राशि (अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यधिक तरल निवेश हैं जो आसानी से ज्ञात मात्रा में नकदी में परिवर्तनीय होते हैं और जो मूल्य में



परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन होते हैं।

ई. राजस्व मान्यता

बिक्री को खरीदारों को महत्वपूर्ण जोखिम और स्वामित्व के पुरस्कारों के हस्तांतरण पर रिटर्न और व्यापार छूट के शुद्ध मान्यता प्राप्त है, जो आम तौर पर ग्राहकों को माल की डिलीवरी के साथ मेल खाता है।

एफ. अन्य आय

जमा राशियों पर ब्याज आय को प्रोद्भव आधार पर मान्यता दी जाती है तथा सदस्यों से प्राप्त प्रवेश शुल्क को नकद आधार पर मान्यता दी जाती है।

जी. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित)

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति कम संचित मूल्यहास / परिशोधन और हानि हानि, यदि कोई हो, पर ले जाया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत में किसी भी व्यापार छूट और छूट, अन्य करों (कर अधिकारियों से बाद में वसूली योग्य लोगों के अलावा अन्य), संपत्ति को अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने पर कोई भी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार व्यय, अन्य आकस्मिक व्यय और योग्य संपत्ति के अधिग्रहण के कारण उधार पर ब्याज, शामिल हैं। संयंत्र और उपकरण तारीख तक संपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर इसकी खरीद के बाद के व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इस तरह के व्यय के परिणामस्वरूप प्रदर्शन के पिछले मूल्यांकन मानक से परे ऐसी संपत्ति से भविष्य के लाभों में वृद्धि होती है।

एच. मूल्यहास और परिशोधन

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यहास सीधी रेखा विधि (लागत के 5% के अवशिष्ट मूल्य पर विचार करने के बाद) पर संपत्ति के उपयोगी जीवन के अनुसार प्रदान किया गया है, संपत्ति की प्रकृति, प्रबंधन द्वारा अनुमानित परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन, परिसंपत्ति की परिचालन स्थिति, रिप्लामेंट्स का पिछला इतिहास, प्रत्याशित तकनीकी परिवर्तन, निर्मित वारंटी और रखरखाव समर्थन आदि निम्नानुसार हैं।

विवरण	वर्षों में उपयोगी जीवन
दूध के डिब्बे	4
पैन ड्राइव	3
संयंत्र और मशीनरी	10
प्लांट और मशीनरी 5000 से नीचे	1
प्रयोगशाला सहायक उपकरण	5
कंप्यूटर और बाह्य उपकरणों	3
फर्नीचर और फिक्स्चर	10
कार्यालय उपकरण	5
अमूर्त	3

*तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दिए गए उपयोगी जीवन उस अवधि का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पर प्रबंधन इन परिसंपत्तियों का उपयोग करने की उम्मीद करता है। इसलिए, इन परिसंपत्तियों के लिए उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से अलग है।



आई. पूंजीगत कार्य—प्रगति

ऐसी परिसंपत्तियां जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें लागत पर ले जाया जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित आकस्मिक व्यय और आरोप्य ब्याज शामिल हैं।

जे. प्रारंभिक और प्री-ऑपरेटिव खर्च

कंपनी के गठन के संबंध में फाइलिंग/कानूनी शुल्क पर किए गए व्यय और कंपनी के निगमन से पहले किए गए सभी खर्चों को प्रारंभिक व्यय के रूप में माना गया है। प्रारंभिक व्यय कंपनी के परिचालन शुरू होने के बाद बड़े खाते में डाले जाते हैं।

व्यवसाय की स्थापना के दौरान वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने तक किए गए व्यय को प्री-ऑपरेटिव व्यय के रूप में गिना जाता है। इस तरह के व्यय को प्रीऑपरेटिव आय का शुद्ध दिखाया जाता है। ऐसे व्यय, जो किसी अचल संपत्ति/परियोजना के निर्माण/अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होते हैं ताकि इसे अपने इच्छित उपयोग के लिए इसकी कार्यशील स्थिति में लाया जा सके, पूंजीकृत हैं और व्यय, जो किसी अचल संपत्ति/परियोजना के निर्माण/अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार नहीं हैं, ताकि इसे अपने इच्छित उपयोग के लिए इसकी कार्यशील स्थिति में लाया जा सके, वर्ष में लाभ और हानि के विवरण के लिए शुल्क के माध्यम से खर्च किए जाते हैं, वाणिज्यिक संचालन शुरू किए जाते हैं।

के. इन्वेंट्रीज

इन्वेंटरी में व्यापार वस्तु (दूध, पशु चारा और खनिज मिश्रण) शामिल हैं। माल-सूची का मूल्यांकन, जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, अप्रचलन और अन्य हानियों का प्रावधान करने के बाद लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य से कम किया जाता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट विधि का उपयोग करके लागत निर्धारित की जाती है। लागत में माल-सूची को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में किए गए सभी शुल्क शामिल हैं। छोटे उपकरण, रसायन, भंडार और कलपुर्जों और उपभोग्य सामग्रियों को खरीदे जाने पर खपत के लिए चार्ज किया जाता है।

एल. अनुदान

अनुदान और सब्सिडी को मान्यता दी जाती है जब उचित आश्वासन होता है कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और अनुदान/सब्सिडी प्राप्त होगी। मूल्यहास योग्य संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित अनुदानों को आस्थगित अनुदान के रूप में माना जाता है जिसे संपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ और हानि के बयान में मान्यता प्राप्त है अर्थात ऐसे अनुदानों से प्राप्त परिसंपत्तियों पर मूल्यहास प्रभार आस्थगित अनुदान से विनियोजित किया जाता है और कम मूल्यहास शुल्क के माध्यम से लाभ और हानि के बयान में मान्यता प्राप्त है।

अनुदान निधि पर अर्जित राजस्व अनुदान और ब्याज को उस लागत के साथ मिलान करने के लिए आवश्यक अवधि में आय के रूप में मान्यता प्राप्त है जिसके लिए उन्हें व्यवस्थित आधार पर क्षतिपूर्ति करने का इरादा है।

एम. कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभों में भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और बोनस शामिल हैं।

क. परिभाषित अंशदान योजनाएं:

भविष्य निधि में कंपनी के योगदान को परिभाषित योगदान योजना के रूप में माना जाता है और कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान किए जाने पर आवश्यक योगदान की राशि के आधार पर लाभ और हानि के विवरण पर शुल्क लिया जाता है।

ख. परिभाषित लाभ योजनाएं:

“ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट को परिभाषित लाभ योजना के रूप में माना जाता है। बैलेंस शीट की तारीख पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन पर ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण प्रदान किया जाता है। समीक्षाधीन तारीख को “प्रक्षेपित इकाई ऋण” (पीयूसी) पद्धति के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित वृद्धिशील देयता को लाभ और हानि खाते के विवरण पर प्रभारित किया जाता है। बीमांकिक लाभ और हानि को लाभ और हानि के



विवरण में मान्यता दी गई है।

ग. अल्पकालिक कर्मचारी लाभ :

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में भुगतान किए जाने वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की अनछुई राशि को उस वर्ष के दौरान मान्यता दी जाती है जब कर्मचारी सेवाएं प्रदान करते हैं। इन लाभों में वेतन, मजदूरी, बोनस, प्रदर्शन प्रोत्साहन और मुआवजा अनुपस्थिति शामिल हैं जो उस अवधि के अंत के बाद बारह महीने के भीतर होने की उम्मीद है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवाएं प्रदान करता है।

घ. दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ :

मुआवजा अनुपस्थिति जो उस अवधि के अंत के बाद बारह महीने के भीतर होने की उम्मीद नहीं है, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवाएं प्रदान करता है, बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य पर देयता के रूप में मान्यता प्राप्त है।

एन. प्रति शेयर कमाई :

प्रति शेयर मूल और पतला आय की गणना लेखा मानक (एसएस) —20 — प्रति शेयर आय के अनुसार की जाती है। प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से इक्विटी शेयरधारकों के लिए जिम्मेदार वर्ष के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर कम आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के दौरान बकाया कमजोर संभावित इक्विटी शेयरों का उपयोग करके की जाती है, सिवाय इसके कि परिणाम एंटी-डाइल्यूटिव हैं।

ओ. करारोपण

आयकर व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर शामिल हैं। वर्तमान कर देयता लागू कर दरों और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय कर की राशि है।

कर कानूनों के अनुसार भुगतान किया गया न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी), जो भविष्य की आयकर देयता के समायोजन के रूप में भविष्य के आर्थिक लाभ देता है, को एक संपत्ति के रूप में माना जाता है यदि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि कंपनी सामान्य आयकर का भुगतान करेगी। तदनुसार, मैट को तुलन पत्र में एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जब इस बात की अत्यधिक संभावना होती है कि इससे जुड़े भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे।

आस्थगित कर समय अंतर पर मान्यता प्राप्त हैय कर योग्य आय और लेखा आय के बीच का अंतर होने के नाते जो एक अवधि में उत्पन्न होता है और एक या अधिक बाद की अवधि में उलट करने में सक्षम होता है। आस्थगित कर को कर दरों और रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार अधिनियमित या बाद में अधिनियमित कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है। आस्थगित कर देनदारियों को सभी समय अंतरों के लिए मान्यता प्राप्त है। आस्थगित कर परिसंपत्ति को अशोषित मूल्यहास के अलावा अन्य मदों के समय के अंतर के लिए मान्यता प्राप्त है और केवल इस हद तक नुकसान को आगे बढ़ाते हैं कि उचित निश्चितता मौजूद है कि पर्याप्त भविष्य की कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसे इन्हें महसूस किया जा सकता है। हालांकि, अगर अशोषित मूल्यहास और आगे के नुकसान हैं, तो आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल तभी मान्यता दी जाती है जब आभासी निश्चितता होती है कि ऐसी परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त भविष्य की कर योग्य आय उपलब्ध होगी। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है यदि ऐसी वस्तुएं समान शासी कानूनों द्वारा लगाए गए आय पर करों से संबंधित हैं और कंपनी के पास इस तरह के सेट ऑफ के लिए कानूनी लागू करने योग्य अधिकार है।

पी. संपत्ति की हानि

“प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख में, कंपनी यह निर्धारित करने के लिए अपनी अचल संपत्तियों के वहन मूल्य की समीक्षा करती है कि क्या कोई संकेत है कि उन परिसंपत्तियों को हानि हानि हुई है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो हानि हानि की सीमा निर्धारित करने के लिए परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। वसूली योग्य राशि एक संपत्ति शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में मूल्य से अधिक है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग से और इसके निपटान से अपेक्षित अनुमानित भविष्य के नकदी



प्रवाह को पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय, मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन और संपत्ति के लिए निर्दिष्ट जोखिम को दर्शाती है। हानि हानि के उत्क्रमण को लाभ और हानि के विवरण में आय के रूप में मान्यता दी गई है।

क्यू. प्रावधान और आकस्मिकताएं

प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है जिसके लिए संभवतः संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होती है और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। आकस्मिक दायित्व के लिए प्रकटीकरण तब किया जाता है जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है, लेकिन शायद संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता नहीं होगी। आकस्मिक दायित्व के लिए कोई प्रावधान मान्यता प्राप्त नहीं है या प्रकटीकरण तब किया जाता है जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है और संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ होती है। आकस्मिक संपत्ति को वित्तीय विवरणों में न तो मान्यता प्राप्त है और न ही खुलासा किया गया है।

आर. पट्टा

पट्टे की व्यवस्था जहां किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए जोखिम और पुरस्कार काफी हद तक पट्टेदार के पास निहित होते हैं, उन्हें परिचालन पट्टों के रूप में मान्यता दी जाती है। परिचालन पट्टों के अन्तर्गत पट्टा किराया लाभ और हानि लेखा विवरण में सीधी रेखा के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

एस. संचालन चक्र

कंपनी के उत्पादों/गतिविधियों की प्रकृति और परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकद या नकद समकक्षों में उनकी प्राप्ति के बीच सामान्य समय के आधार पर, कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों के वर्तमान और गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को 12 महीने के रूप में निर्धारित किया है।

टी. सामान्य

जहां भी कहा गया है, को छोड़कर, लेखांकन नीतियां आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और लगातार लागू की गई हैं।

3. शेयर पूंजी

अधिकृत	31.03.2024 रुपये लाख में	31.03.2023 रुपये लाख में
ए. इक्विटी शेयर 10,00,000 प्रत्येक रु.100/- के	1000.00	1000.00
बी. जारी, सदस्यता और भुगतान किया गया	604.9	99.07
604934 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष : 99072 शेयर) रु.100/- प्रत्येक का पूर्ण भुगतान *		
सी. कंपनी के पास केवल एक वर्ग के शेयर हैं जिन्हें इक्विटी शेयर कहा जाता है जिसमें प्रति शेयर 100 रुपये का सममूल्य होता है। प्रत्येक सदस्य का एक ही मत होगा।		

सदस्य कंपनी के एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन के अनुसार रिटर्न (लाभांश) और मूल्य प्रोत्साहन के हकदार हैं। आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश। वित्तीय वर्ष से ठीक पहले के वर्ष या 5 वर्षों के दौरान नकद के अलावा या बोनस शेयरों के माध्यम से कोई अन्य प्रतिफल के लिए कोई शेयर जारी नहीं किया गया है।



डी. वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों का मिलान

प्रत्येक रु.100/- के इक्विटी शेयर	31.03.2024 शेयर की संख्या	31.03.2023 शेयर की संख्या	31.03.2024 रुपये लाख में	31.03.2023 रुपये लाख में
जैसा कि साल की शुरुआत में था	99,072	—	99.07	—
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर (शेयरों का शुद्ध सरेंडर किया गया)	5,05862	99,072	505.86	99.07
वर्ष के अंत में	6,04,934	99,072	604.93	99.07

ई. प्रवर्तकों की शेयरधारिता

क्रम संख्या	प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या		कुल हिस्से की		वर्ष के दौरान % परिवर्तन	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	2023-24	2022-23
1	श्रीमती लक्ष्मी देवी	45	10	0.05%	0.01%	0.04%	100.00%
2	श्रीमती अनामिका	51	10	0.05%	0.01%	0.04%	100.00%
3	श्रीमती अनामिका	10	10	0.01%	0.01%	0.00%	100.00%
4	श्रीमती चांदनी	15	15	0.02%	0.02%	0.00%	100.00%
5	श्रीमती तेज कुमारी	17	10	0.02%	0.01%	0.01%	100.00%
6	श्रीमती कुमकुम	10	10	0.01%	0.01%	0.00%	100.00%
7	श्रीमती वंदना सिंह	15	10	0.02%	0.01%	0.01%	100.00%
8	श्रीमती संतोष कुमारी	31	15	0.03%	0.02%	0.02%	100.00%
9	श्रीमती नेहा सिंह	17	13	0.02%	0.01%	0.00%	100.00%
10	श्रीमती मिथलेश देवी	27	12	0.03%	0.01%	0.02%	100.00%
11	श्रीमती मालती	15	10	0.02%	0.01%	0.01%	100.00%

एफ. कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI&A के तहत 'निर्माता कंपनी' के रूप में पंजीकृत है और किसी भी सदस्य के पास कंपनी की शेयर पूंजी का 5% या अधिक नहीं है।

4. भंडार — अधिशेष

	31.03.2024 रुपये लाख में	31.03.2023 रुपये लाख में
लाभ और हानि खाते के विवरण में अधिशेष		
अंतिम तुलन पत्र की तारीख के अनुसार शेष	6.71	—
अवधि के लिए लाभ(हानि)	710.93	6.71
वलोजिंग बैलेंस	717.64	6.71

मार्च 31, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में, निदेशक मंडल ने अगरत 27, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में पूरी तरह से मुग्तान किए गए इक्विटी शेयरों पर मुग्तान किए जाने वाले प्रति शेयर रु. 8.00 का अंतिम लामांश प्रस्तावित किया है।

5. शेयर एप्लीकेशन मनी लंबित आवंटन

शेयर एप्लीकेशन मनी	153.44	9.93
	153.44	9.93

कंपनी को इक्विटी शेयरों के लिए रु.153.44 का शेयर एप्लीकेशन मनी प्राप्त हुआ है, जिसके एवज में अप्रैल 08, 2024 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में आवंटन किया गया है।

6. आस्थगित अनुदान

ओपनिंग बैलेंस	5.11	—
जोड़ें: अवधि के दौरान उपयोग किया गया पूंजी अनुदान (नोट संख्या 30 देखें)	2,049.27	5.21
कम: अनुदान से अर्जित परिसंपत्तियों से संबंधित मूल्यह्रास	(102.90)	(0.10)
	1,951.47	5.11

7. दीर्घकालिक देनदारियां

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का अनुदान	1,288.71	—
सहायकों से सुरक्षा जमा	729.32	—
	2,018.02	—

8. दीर्घकालिक प्रावधान

ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	6.62	—
अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	11.85	—
	18.46	—

9. अल्पावधि उधार

असुरक्षित	7,223.17	—
एक्सिस बैंक लिमिटेड इनवॉइस डिस्कार्डिंग सुविधा से	—	—
“चालान की तारीख से 90 दिनों तक की अवधि के लिए मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड को दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए 8000 लाख रुपये की सीमा। ब्याज दर रेपो दर (6.50%) है।”	—	—
	7,223.17	—



10. देय व्यापार

31.03.2024
रुपये लाख में

31.03.2023
रुपये लाख में

सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की
कुल बकाया राशि (नोट: 7 बी)

3.29

—

1,111.22

455.59

1,114.51

455.59

कोई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नहीं हैं, जिनके लिए कंपनी का बकाया है, जो 31 मार्च, 2024 तक 45 दिनों से अधिक के लिए बकाया हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकट की जाने वाली अपेक्षित सूचना का निर्धारण कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर उस सीमा तक किया गया है जिस सीमा तक ऐसे पक्षों की पहचान की गई है। लेखा परीक्षकों द्वारा इस पर भरोसा किया गया है। व्यापार देय के लिए उन्नत बढ़ने की अनुसूची।

क्रम संख्या	विवरण	“भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया”				31.03.2024 तक
		1 वर्ष से कम	1—2 साल	2—3 साल	3 वर्ष से अधिक	
(i)	एमएसएमई	3.29	—	—	—	3.29
(ii)	अन्य	1,111.22	—	—	—	1,111.22
(iii)	विवादित बकाया —एमएसएमई	—	—	—	—	—
(iv)	विवादित बकाया राशि — अन्य	—	—	—	—	—
	कुल	1,114.51	—	—	—	1,114.51
(i)	एमएसएमई	—	—	—	—	—
(ii)	अन्य	455.59	—	—	—	455.59
(iii)	विवादित बकाया —एमएसएमई	—	—	—	—	—
(iv)	विवादित बकाया राशि — अन्य	—	—	—	—	—
	कुल	455.59	—	—	—	455.59

एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए देय राशि का विवरण

विवरण	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे है) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	31.03.2024 रुपये लाख में	31.03.2023 रुपये लाख में
(i) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को मूल राशि और उस पर देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है:			
(ए) बकाया मूल राशि		3.29	—
(इ) उस पर ब्याज		—	—
(ii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि, प्रत्येक लेखा अवधि के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ:		—	—
(क) धारा 16 के संदर्भ में भुगतान किया गया ब्याज		—	—
(इ) विलंबित मूलधन भुगतान		—	—
(iii) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे है) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना		—	—
(iv) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज की राशि और भुगतान न की गई राशि		—	—
(v) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय की अस्वीकृति के उद्देश्य से उस तारीख तक जब उपरोक्त ब्याज बकाया वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान किया जाता है, तब तक आने वाले वर्षों में भी देय और देय ब्याज की राशि।		—	—

कंपनी ने यह जानकारी आपूर्तिकर्ताओं से सूक्ष्म या लघु उद्यमों के रूप में उनकी स्थिति और या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत उपयुक्त प्राधिकारी के साथ इसके पंजीकरण के बारे में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संकलित की है।



11 अन्य वर्तमान देनदारियां

कर्मचारियों
देय स्रोत पर आयकर कटौती
भविष्य निधि देय
देय जीएसटी (आईटीसी का शुद्ध)
सहायक को देय
ट्रांसपोर्टर्स को देय
विक्रेताओं को देय
पूँजीगत वस्तुओं के लिए लेनदार
सुरक्षा जमा
बकाया देनदारियां

31.03.2024
रुपये लाख में

24.89
30.01
3.28
10.22
119.54
256.51
92.63
2.05
141.03
18.10
698.26

31.03.2023
रुपये लाख में

3.15
4.32
—
2.13
—
—
—
0.93
3.80
8.19
19.38

12. अल्पकालिक प्रावधान

आयकर के लिए प्रावधान (निवल)
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान
अवकाश नकदीकरण का प्रावधान

260.00
0.30
4.25
264.55

2.54
0.72
—
6.41

13. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण मूल संपत्ति

रुपये लाख में

विवरण/संपत्ति	संयंत्र और मशीनरी	अनुदान संपत्ति कंप्यूटर	कार्यालय उपकरण	स्वामित्व वाली संपत्ति फर्नीचर और स्थिरता	कार्यालय उपकरण	महायोग फर्नीचर और स्थिरता	2023-24
सकल ब्लॉक							
01.04.2023 को स्थिति	—	4.64	—	—	—	—	4.64
वर्ष के दौरान जोड़	1,558.83	46.07	9.85	5.96	0.88	0.60	1,622.20
वर्ष के दौरान कटौती	—	—	—	—	—	—	—
01.04.2022 को स्थिति	—	4.64	—	—	—	—	4.64
योग	—	—	—	—	—	—	—
निगमन	—	—	—	—	—	—	—
31.03.2024 को स्थिति	1,558.83	50.71	9.85	5.96	0.88	0.60	1,626.84
31.03.2023 को स्थिति	—	4.64	—	—	—	—	4.64
मूल्यह्रास/समायोजन							
01.04.2023 को स्थिति	—	0.06	—	—	—	—	0.06
वर्ष के दौरान जोड़	94.09	6.24	0.58	0.27	0.10	0.01	101.29
वर्ष के दौरान कटौती	—	—	—	—	—	—	—
01.04.2022 को स्थिति	—	—	—	—	—	—	—
योग	—	—	—	—	—	—	—
निगमन	—	—	—	—	—	—	—
31.03.2024 को स्थिति	94.09	6.29	0.58	0.27	0.10	0.01	101.35
31.03.2023 को स्थिति	—	0.06	—	—	—	0.06	—
नेट ब्लॉक							
31.03.2024 को स्थिति	1,464.74	44.41	9.27	5.69	0.78	0.59	1,525.49
31.03.2023 को स्थिति	—	4.58	—	—	—	—	4.58

अमूर्त संपत्ति और पूँजीगत कार्य प्रगति पर है ।

विवरण/संपत्ति	अमूर्त संपत्ति अनुदान संपत्ति	पूँजीगत कार्य प्रगति पर है महायोग
सकल ब्लॉक		
01.04.2023 को स्थिति	0.57	—
वर्ष के दौरान जोड़	7.88	4.72
वर्ष के दौरान कटौती	—	—
01.04.2022 को स्थिति	—	—
योग	0.57	0.57
निगमन	—	—
31.03.2024 को स्थिति	8.45	13.17
31.03.2023 को स्थिति	0.57	—



विवरण / संपत्ति	अमूर्त संपत्ति		पूँजीगत कार्य प्रगति पर है			रुपये लाख में 2023-24
	कंप्यूटर	अनुदान कार्यालय उपकरण	पूँजीगत संपत्ति फर्नीचर और स्थिरता	कार्यालय उपकरण	महायोग फर्नीचर और स्थिरता	
मूल्यहास / समायोजन	—	—	—	—	—	—
01.04.2023 को स्थिति	0.04	—	0.04	—	—	—
वर्ष के दौरान जोड़	1.72	1.57	3.30	—	—	—
वर्ष के दौरान कटौती	—	—	—	—	—	—
01.04.2022 को स्थिति	—	—	—	—	—	—
योग	0.04	—	0.04	—	—	—
निगमन	—	—	—	—	—	—
31.03.2024 को स्थिति	1.77	1.57	3.34	—	—	—
31.03.2023 को स्थिति	0.04	—	0.04	—	—	—
नेट बलॉक	—	—	—	—	—	—
31.03.2024 को स्थिति	6.68	3.15	9.83	420.67	—	420.67
31.03.2023 को स्थिति	0.53	—	0.53	—	—	—

14. पूँजीगत कार्य प्रगति पर है 31.03.2024 तक वृद्धावस्था अनुसूची						
विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 साल	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	कुल योग	
परियोजनाएं प्रगति पर हैं						
अनुदान से बाहर	420.67	—	—	—	—	420.67
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	—	—	—	—	—	—
कुल योग	420.67	—	—	—	—	420.67

प्रगति में पूँजी-कार्य का विवरण जिसका पूरा होना 31 मार्च, 2024 तक अपनी मूल योजना की तुलना में अतिदेय है।

विवरण	पूरा किया जाना है		पूँजीगत कार्य प्रगति पर है			रुपये लाख में
	1 वर्ष से कम	1-2 साल	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	कुल योग	
ऐसी परियोजनाएं जो अपनी मूल समयरेखा को पार कर चुकी हैं।						
परियोजनाएं प्रगति पर हैं						
डीपीएमसीयू	363.83	—	—	—	—	363.83
दूध केन	11.97	—	—	—	—	11.97
एच कार्यालय सेट अप	44.87	—	—	—	—	44.87
परियोजनाएं जो अपने मूल बजट से अधिक हो चुकी हैं	—	—	—	—	—	—
कुल	420.67	—	—	—	—	420.67

पूँजीगत कार्य प्रगति पर है 31.03.2023 तक वृद्धावस्था अनुसूची
चूंकि 31.03.2023 को कोई पूँजीगत कार्य प्रगति पर नहीं था, इसलिए एजिंग शेड्यूल और कैपिटल-वर्क-इन प्रगति का विवरण जिसका पूरा होना 31 मार्च, 2023 तक इसकी मूल योजना की तुलना में अतिदेय है, नहीं बताया गया है।

	रुपये लाख में		रुपये लाख में	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
15. आस्थगित कर संपत्ति				
तुलन पत्र की तारीख को शेष	0.61	—	0.61	—
वर्ष के दौरान किए गए परिवर्तन	—	—	—	—
— अचल संपत्तियों पर मूल्यहास पर	(0.07)	—	(0.07)	—
— ग्रेज्युटी और अवकाश नकदीकरण के प्रावधान पर	5.80	0.19	5.80	0.19
— भविष्य के वर्षों में परिशोधन के लिए उपलब्ध सीमा तक प्रारंभिक व्यय पर	(0.11)	0.42	(0.11)	0.42
	6.23	0.61	6.23	0.61
16. इन्वेन्ट्रीज				
जैसा कि लागत पर प्रबंधन द्वारा लिया गया, प्रमाणित और मूल्यवान				
थोक दूध	—	—	—	—
— स्टॉक-इन-ट्रेड	309.70	13.79	309.70	13.79
	309.70	13.79	309.70	13.79

**17. व्यापार प्राप्त्य****31.03.2024****31.03.2023**

रुपये लाख में

रुपये लाख में

निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां— अच्छा माना जाता है	8,983.54	438.99
निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां — संदिग्ध मानी जाती हैं	—	—
विवादित व्यापार प्राप्तियां — अच्छा माना जाता है	—	—
विवादित व्यापार प्राप्तियां— संदिग्ध मानी जाती हैं	—	—
8,983.54	438.99	

31 मार्च, 2024 को प्रत्येक श्रेणी के लिए भुगतान की देय तिथि से व्यापार प्राप्तियों के लिए उम्र

रुपये लाख में

क्रम संख्या	विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया	6 महीने से कम	6 महीने-1 वर्ष	1-2 साल	2-3 साल 3 वर्ष से अधिक	कुल
(i)	निर्विवाद — अच्छा माना जाता है	8,983.54	—	—	—	—	8,983.54
(ii)	निर्विवाद — संदिग्ध माना जाता है	—	—	—	—	—	—
(iii)	विवादित — अच्छा माना जाता है	—	—	—	—	—	—
(iv)	विवादित — संदिग्ध माना जाता है	—	—	—	—	—	—
	कुल	8,983.54	—	—	—	—	8,983.54

31 मार्च, 2023 को प्रत्येक श्रेणी के लिए भुगतान की देय तिथि से व्यापार प्राप्तियों के लिए उम्र

रुपये लाख में

क्रम संख्या	विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया	6 महीने से कम	6 महीने-1 वर्ष	1-2 साल	2-3 साल 3 वर्ष से अधिक	कुल
(i)	निर्विवाद— अच्छा माना जाता है	438.99	—	—	—	—	438.99
(ii)	निर्विवाद — संदिग्ध माना जाता है	—	—	—	—	—	—
(iii)	विवादित — अच्छा माना जाता है	—	—	—	—	—	—
(iv)	विवादित — संदिग्ध माना जाता है	—	—	—	—	—	—
	कुल	438.99	—	—	—	—	438.99

31.03.2024

31.03.2023

रुपये लाख में

रुपये लाख में

18. नकद और नकद समकक्ष**नकद और नकद समकक्ष**

अनुसूचित बैंकों के साथ शेष राशि

— चालू खातों में

8.19

87.97

— सावधि जमा खाते में (3 महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता)

300.16

—

पलेक्सी जमा खातों में शेष राशि सहित

हाथ में नकदी

—

—

एएस 3 के अनुसार नकद और नकद समकक्ष — कैश प्लो स्टेटमेंट

308.36**87.97****अन्य बैंक शेष**

सावधि जमा खाते में (मूल परिपक्वता 3 महीने से अधिक)

2,817.39

—

3,125.74**87.97**



31.03.2024 31.03.2023
रुपये लाख में रुपये लाख में

19. अल्पावधि ऋण और अग्रिम		
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		
स्रोत पर अग्रिम आयकरधकर की कटौती	251.88	—
प्राप्य ब्याज	47.96	—
किराए पर अग्रिम	3.20	—
बिजली कनेक्शन के लिए सुरक्षा	0.45	—
प्री-पेड खर्च	10.41	—
कर्मचारियों को अग्रिम	—	4.33
	313.90	4.33
20. अन्य वर्तमान संपत्ति		
यूपीएसआरएलएम से प्राप्य — उपयोग किए गए अनुदानों के लिए	—	51.40
सहायक वसूली प्राप्य	69.35	—
	69.35	51.40
21. संचालन से राजस्व		
थोक दूध की बिक्री	33,575.99	436.07
पशु चारा	1,012.01	—
खनिज मिश्रण और ऑक्सीबिल	44.09	—
	34,632.09	436.07
22. अन्य आय		
राजस्व अनुदान'	643.95	46.19
अनुदान निधि पर ब्याज'	137.18	—
बैंकों से ब्याज	40.11	—
सदस्यों से प्रवेश शुल्क	19.49	9.68
अन्य आय	37.16	10.16
	877.90	66.04
'अनुदान निधियों पर अजत राजस्व अनुदान और ब्याज को अनुदान के प्रति किए गए व्यय के बराबर आय के रूप में मान्यता दी गई है।		
23. व्यापारिक वस्तुओं की खरीद		
कच्चा थोक दूध	29,632.92	406.84
पशु चारा	972.29	—
खनिज मिश्रण	40.13	—
	30,645.34	406.84
24. खरीद खर्च		
दूध डालना और परीक्षण करना	1,679.38	17.89
दूध को ठंडा करने और फिर से ठंडा करने का शुल्क	205.59	2.61
फ्रेंट इनवर्ड	316.87	8.71
वफादारी प्रोत्साहन	125.30	—
रसायन और उपभोग्य वस्तुएं	36.92	—
	2,364.07	29.21



31.03.2024
रुपये लाख में

31.03.2023
रुपये लाख में

25. स्टॉक-इन-ट्रेड की सूची में परिवर्तन

अवधि की शुरुआत में इन्वेंटरी

कच्चा थोक दूध

— स्टॉक-इन-ट्रेड

13.79

—

अवधि के अंत में इन्वेंटरी

कच्चा थोक दूध

— स्टॉक-इन-ट्रेड

309.70

13.79

माल-सूची में निवल कमी/(वृद्धि)

(295.91)

(13.79)

26. कर्मचारी लाभ खर्च

वेतन और मजदूरी

365.27

18.38

भविष्य निधि में अंशदान

12.96

—

उपदान

5.47

0.33

अवकाश नकदीकरण

13.35

—

कर्मचारी कल्याण

2.55

0.75

निदेशकों का पारिश्रमिक

35.93

17.05

435.54

36.51

“निदेशकों के पारिश्रमिक में भविष्य निधि के लिए अंशदान शामिल है: 1.79 लाख रुपये (पिछला वर्ष : शून्य), पीएलआई 3.31 लाख रुपये (पिछले वर्ष : 1.80 लाख रुपये), ग्रेजुटी का भुगतान 0.73 लाख रुपये (पिछला वर्ष : .39 लाख) और छुट्टी नकदीकरण के लिए भुगतान 2.75 लाख रुपये (पिछला वर्ष : शून्य)”

27. वित्त लागत

उधार पर ब्याज

56.41

—

56.41

—

28. डेप्रिसिएशन और एमॉर्टाइजेशन खर्च

मूर्त संपत्ति पर मूल्यहास

101.29

0.06

अमूर्त संपत्ति पर मूल्यहास

3.30

0.04

कम: अनुदान पर अर्जित परिसंपत्तियों से संबंधित मूल्यहास

(102.90)

(0.10)

प्रारंभिक खर्चों का परिशोधन

—

2.05

1.68

2.05

29. अन्य खर्च

माल दुलाई, कार्टेज और अग्रेषण

1,115.75

13.01

मरम्मत और रखरखाव — मशीनरी

42.61

—

वाहन किराया शुल्क

42.33

0.72

किराया

34.26

1.16

मुद्रण और स्टेशनरी

19.59

1.83

कानूनी और व्यावसायिक शुल्क

14.66

1.04

बीमा प्रभार

16.48

—

संचार और नेटवर्किंग

10.39

0.27

खर्चों को पूरा करना

7.15

1.35

यात्रा और वाहन

6.51

0.17

यात्रा और वाहन — निदेशक

2.19

0.93

प्रशिक्षण व्यय

3.63

—

लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक रु

2.73

0.90

निदेशकों की बैठक शुल्क

0.45

0.05

शक्ति और ईंधन

1.90

—

दरें और कर

0.05

9.00

विविध खर्च

17.20

1.85

1,337.87

32.29



31.03.2024
रुपये लाख में

31.03.2023
रुपये लाख में

30. प्रति शेयर कमाई

इक्विटी शेयर धारकों के लिए उपलब्ध कर के बाद शुद्ध लाभ
(असाधारण और असाधारण आइटम)

710.93

6.71

ए. प्रति शेयर मूल आय के लिए इक्विटी शेयरों की भारित
औसत संख्या (नंबर)

2,74,082

13,086

बी. प्रति इक्विटी शेयर नाममात्र मूल्य (रु.)

100.00

100.00

सी. प्रति शेयर मूल आय (ए/ब) (रु.)

259.39

51.28

डी. प्रति शेयर पतला आय के लिए इक्विटी शेयरों की भारित
औसत संख्या (नंबर)

2,82,041

13,218

ई. प्रति शेयर पतला आय (ए/ई) (रु.)

252.07

50.77

31. आकस्मिक देनदारियां :

ए. कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार
नहीं किया गया

—

—

31 मार्च, 2024 तक कोई बकाया आकस्मिक देनदारियां नहीं हैं

बी. प्रतिबद्धताओं

“पूँजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष अनुबंधों की
अनुमानित राशि और प्रदान नहीं की गई (भुगतान किए गए

अग्रिमों का निवल) “

26.15

—

32. मुकदमों :

किसी ग्राहक, सेवा प्रदाता, लेनदारों, कर्मचारियों, सरकारी प्राधिकरणों
और अन्य हितधारकों के साथ लंबित मुकदमेबाजी या विवाद
वित्तीय विवरणों में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों का प्रभाव

—

—

—

—

33. कंपनी दूध और पशु आहार के व्यापार के एकल व्यवसाय खंड में लगी हुई है और भारत में एकल भौगोलिक
खंड में काम करती है। अतः खंड रिपोर्टिंग पर लेखा मानक (एएस)—17 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण लागू
नहीं होते हैं।

34. पट्टे की व्यवस्था

कंपनी ने परिसर को परिचालन पट्टे पर लिया है। वर्ष के दौरान भुगतान किए गए लीज किराए को लेखा मानक 19
(एएस 19) “पट्टों” के अनुसार व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

31.03.2024

31.03.2023

रुपये लाख में

रुपये लाख में

कंपनी ने कार्यालय परिसर और दूध संग्रह और चिलिंग सेंटर के लिए पट्टे की व्यवस्था की है। कंपनी ने लाभ
और हानि के विवरण में पट्टा किराया व्यय (जीएसटी सहित, जहां भी लागू हो) को निम्नानुसार मान्यता दी है:

रायबरेली में कॉर्पोरेट कार्यालय और सुल्तानपुर में क्लस्टर कार्यालय के लिए:

अवधि 11 महीने, 31.07.2024 और 31.08.2024 को समाप्त हो रही है

4.76

0.01

रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी में दूध संग्रह और चिलिंग सेंटर के लिए:

अवधि 1 वर्ष, 20.03.2025 को समाप्त हो रही है।

29.49

1.16

व्यवस्था के तहत भुगतान किए गए लीज किराए

34.25

1.16

देय न्यूनतम लीज रेंटल (जीएसटी सहित)

— एक वर्ष के भीतर

11.91

38.25

— बाद में 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से अधिक नहीं

—

—

— बाद में 5 साल से अधिक

—

—

35. कर्मचारी लाभ पर संशोधित लेखा मानक 15 (एएस —15) के अनुसार प्रकटीकरण

ए. परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि के रूप में परिभाषित योगदान योजना प्रदान करती है, जो सभी नियमित
कर्मचारियों को कवर करती है। भविष्य निधि अंशदान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफसी) के पास जमा किया
जाता है। कर्मचारी और कंपनी दोनों भविष्य निधि में पूर्व निर्धारित योगदान का भुगतान करते हैं। योगदान आम तौर
पर कर्मचारी के वेतन के अनुपात का पता लगाने पर आधारित होते हैं।



पर कर्मचारी के वेतन के अनुपात का पता लगाने पर आधारित होते हैं।

	2023-24	2023-24
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त भविष्य निधि योगदान	रुपये लाख में	रुपये लाख में
	14.76	—

बी. परिभाषित लाभ योजना

कंपनी अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी योजना (एकमुश्त राशि) के रूप में परिभाषित लाभ योजनाएं प्रदान करती है। परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत लाभ सेवा के वर्षों और कर्मचारियों के मुआवजे (सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले) पर आधारित होते हैं। ग्रेच्युटी योजना सभी नियमित कर्मचारियों को कवर करती है। ग्रेच्युटी योजना के मामले में, कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित ट्रस्ट और आयकर अधिकारियों द्वारा अनुमोदित निधि में योगदान करने का प्रस्ताव करती है। वचनबद्धताएं वर्ष के अंत में वास्तविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। बीमांकिक मूल्यांकन “प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट (पीसीयू) बीमांकिक पद्धति” के आधार पर किया जाता है। परिवर्तित बीमांकिक मान्यताओं के लाभ और हानि को लाभ और हानि खाते के विवरण में आरोपित किया जाता है। इसी तरह, गैर-प्राप्त छुट्टियों के प्रति देयता की गणना शेष तिथि के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की गई है।

वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त ग्रेच्युटी और राशि के संबंध में परिभाषित लाभ योजना की वित्त पोषित स्थिति।

	2023-24	2022-23
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
I. लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
वर्ष के प्रारंभ में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	6.92	
वर्तमान सेवा लागत		
ब्याज लागत		
भुगतान किया गया लाभ		
बीमांकिक नुकसान (लाभ)		
31.03.2024 को लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	6.92	—
ii. योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		
वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	—	
प्लान एसेट पर अपेक्षित रिटर्न	—	
कंपनी का योगदान	—	
भुगतान किए गए लाभ	—	
बीमांकिक नुकसान (लाभ)	—	
31.03.2024 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	—	—
iii. प्लान एसेट पर रिटर्न		
प्लान एसेट पर अपेक्षित रिटर्न	—	
बीमांकिक लाभ(हानियां)	—	
प्लान एसेट पर बीमांकिक रिटर्न	—	—
iv. बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि		
31.03.2024 को लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	6.92	—
31.03.2024 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	—	—
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता ६	6.92	—
v. लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय		
वर्तमान सेवा लागत	6.92	
ब्याज लागत		
प्लान एसेट पर अपेक्षित रिटर्न		
वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक हानि (लाभ)		
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	6.92	—



	2023-24 रुपये लाख में	2022-23 रुपये लाख में
vi. बैलेंस शीट मान्यता		
वर्ष के आरंभ में निवल देयता / (परिसंपत्ति)	—	—
उपरोक्त के रूप में व्यय	6.92	—
योगदान	—	—
वर्ष के अंत में निवल देयता / (परिसंपत्ति)	6.92	—
vii. प्रिंसिपल बीमांकिक धारणाएं		
छूट की दर	7.10% p.a.	
अपेक्षित वेतन वृद्धि	7.00% p.a.	
संघर्षण दर	5.00% p.a.	
(कम उम्र में 5% और स्नातक पैमाने के अनुसार वृद्धावस्था में 1% तक कम करना)		
मृत्यु दर तालिका का उपयोग किया गया I.A.L.M. (2012-14) अल्टीमेट		
सी. क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति के लिए बीमांकिक धारणाएं (दायित्व छोड़ना)		
i. लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
वर्ष के प्रारंभ में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य		
वर्तमान सेवा लागत	16.10	
ब्याज लागत		
भुगतान किया गया लाभ		
बीमांकिक नुकसान (लाभ)		
31.03.2024 को लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	16.10	—
ii. योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		
वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	—	—
प्लान एसेट पर अपेक्षित रिटर्न	—	—
कंपनी का योगदान	—	—
भुगतान किए गए लाभ	—	—
बीमांकिक नुकसान (लाभ)	—	—
31.03.2024 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	—	—
iii. प्लान एसेट पर रिटर्न		
प्लान एसेट पर अपेक्षित रिटर्न	—	—
बीमांकिक लाभ(हानियां)	—	—
प्लान एसेट पर बीमांकिक रिटर्न	—	—
iv. बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि		
31.03.2024 को लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	16.10	—
31.03.2024 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	—	—
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता	16.10	—
v. लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय		
वर्तमान सेवा लागत	16.10	
ब्याज लागत		
प्लान एसेट पर अपेक्षित रिटर्न		
वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक हानि (लाभ)		
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	16.10	—
vi. बैलेंस शीट मान्यता		
वर्ष के आरंभ में निवल देयता / (परिसंपत्ति)	—	—
उपरोक्त के रूप में व्यय	16.10	—
योगदान	—	—
वर्ष के अंत में निवल देयता / (परिसंपत्ति)	16.10	—



2023-24

2022-23

रुपये लाख में

रुपये लाख में

vii. प्रिंसिपल बीमांकिक धारणाएं

छूट की दर	7.10% p.a.
अपेक्षित वेतन वृद्धि	7.00% p.a.
संघर्षण दर	5.00% p.a.
(कम उम्र में 5% और स्नातक पैमाने के अनुसार वृद्धावस्था में 1% तक कम करना)	
मृत्यु दर तालिका का उपयोग किया गया	आई.ए.एल.एम. (2012-14) अल्टीमेट

डी. अनुभव समायोजन

उपदान		
परिभाषित लाभ का वर्तमान मूल्य	6.92	—
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	—	—
वित्त पोषित स्थिति	—	—
दायित्वों पर लाभ/(हानि)	—	—
योजना परिसंपत्तियों पर लाभ/(हानि)	—	—
दायित्व छोड़ें		
परिभाषित लाभ का वर्तमान मूल्य	16.10	—
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	—	—
वित्त पोषित स्थिति	—	—
दायित्वों पर लाभ/(हानि)	—	—
योजना परिसंपत्तियों पर लाभ/(हानि)	—	—

36. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण:

ए. संबंधित पार्टियों की सूची:

1. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)	संबंध	
श्री प्रशांत मांडव्या	मुख्य कार्यकारी और निदेशक	01.09.2022 के बाद से
श्रीमती लक्ष्मी देवी	निर्देशक	30.03.2022 के बाद से
श्रीमती अनामिका	निर्देशक	30.03.2022 के बाद से
श्रीमती चांदनी	निर्देशक	30.03.2022 के बाद से
श्रीमती तेज कुमारी	निर्देशक	30.03.2022 के बाद से
श्रीमती कुमकुम	निर्देशक	30.03.2022 के बाद से

बी. संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन

नाम	मेहनताना	सिटिंग फीस *	खर्चों की प्रतिपूर्ति *	दूध की खरीद	मेहनताना	सिटिंग फीस *	खर्चों की प्रतिपूर्ति *	दूध की खरीद
	2023-24	2023-24	2023-24	2023-24	2022-23	2022-23	2022-23	2022-23
श्री प्रशांत मांडव्या	35.93		3.55		16.65		0.93	
श्रीमती लक्ष्मी देवी		0.08		1.91		0.01		
श्रीमती अनामिका		0.07		1.83		0.01		0.12
श्रीमती चांदनी		0.08	0.10					
श्रीमती तेज कुमारी		0.07	0.10			0.01		
श्रीमती कुमकुम		0.08	0.10	0.41		0.01		
		—						
	35.93	0.38	3.84	4.15	16.65	0.04	0.93	0.12

* सिटिंग शुल्क की राशि और ऊपर उल्लिखित खर्चों की प्रतिपूर्ति रिवर्स चार्ज आधार पर भुगतान किए गए जीएसटी में शामिल नहीं है।



2023-24

रुपये लाख में

2022-23

रुपये लाख में

37. अनुदान का विवरण :

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से प्राप्त अनुदानों और इसके उपयोग का विवरण निम्नानुसार है।		
ए. शेष राशि आगे खरीदी गई	(51.40)	—
बी. अवधि के दौरान प्राप्त	4,033.33	—
सी. अनुदान निधि पर अर्जित ब्याज	137.18	—
डी. वर्ष के दौरान उपयोग की गई देयता 11466 लाख रु	2,830.40	51.40
— पूंजीगत व्यय के लिए	2,049.27	
— राजस्व व्यय हेतु	781.14	
कुल उपयोग किया गया	2,830.40	51.40
ई. शेष आगे बढ़ाया गया (a+b-c-d-e)	1,288.71	(51.40)

नोट: पूंजीगत परिसंपत्तियों की खरीद के लिए उपयोग किए गए अनुदान को आस्थगित अनुदान के रूप में दर्ज किया गया है और उपयोग की गई राजस्व अनुदान की राशि को आय के रूप में मान्यता दी गई है (नोट संख्या 2i)।

38. हानि हानि

“31 मार्च, 2024 को लेखा मानक ‘28’ के अनुसार प्रबंधन द्वारा की गई समीक्षा के आधार पर अचल संपत्तियों पर कोई हानि हानि नहीं हुई थी।

39. लेनदारों, प्रतिभूति जमा और अग्रिम खातों में शेष, हालांकि कुछ मामलों में पुष्टि/सामंजस्य नहीं किया गया है, प्रबंधन की राय में सही और सही हैं और वसूली योग्यध्वेय जैसा भी मामला हो, व्यवसाय के साधारण पाठ्यक्रम में दर्शाई गई सीमा तक, मामूली समायोजन, यदि कोई हो, जो आवश्यक हो सकता है, पुष्टिकरण प्राप्त होने पर किया जाएगा।

40. अनुपात

क्रम संख्या	विवरण	अंश 31.03.2024	अंश 31.03.2023	समाप्त वर्ष 31.03.2023	परिवर्तन 31.03.2023	परिवर्तन का कारण
ए.	डेब्ट इक्विटी रेशियो (कुल ऋण/शेयरधारक की इक्विटी)	7,223	लागू नहीं	5.46	लागू नहीं	5.46 लागू नहीं
बी.	ऋण सेवा कवरेज अनुपात (संख्या) (असाधारण मदों और कर से पहले लाभ/(हानि) उधार पर ब्याज)/(उधार पर ब्याज, उधार का पुनर्भुगतान)	1,323	लागू नहीं	18.11	लागू नहीं	18.11 लागू नहीं
सी.	वर्तमान अनुपात (संख्या) (वर्तमान संपत्ति (बिक्री के लिए आयोजित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों को छोड़कर)/वर्तमान देनदारियाँ (बिक्री के लिए आयोजित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों से सीधे जुड़ी देनदारियों को छोड़कर)	12,802	596	1.38	1.24	0.14 वर्ष के दौरान प्रदर्शन
डी.	व्यापार प्राप्य कारोबार (संख्या) (संचालन से राजस्व/औसत व्यापार प्राप्तियाँ)	9,300	481			
ई.	इन्वेंट्री टर्नओवर (संख्या) (कच्चे माल की खपत / औसत सूची)	34,632	436	7.35	1.99	5.36 वर्ष के दौरान प्रदर्शन
		4,711	219			
		30,349	393	187.63	57.00	130.64 वर्ष के दौरान प्रदर्शन
		162	7			

क्रम संख्या	विवरण	अंश हर	अंश हर	समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष 31.03.2023	परिवर्तन	परिवर्तन का कारण
31.03.202431.03.2023							

एफ.	व्यापार देय कारोबार (संख्या) (उपभोग की गई सामग्री की लागत/औसत व्यापार देय)	30,349	393	38.66	1.73	36.93 वर्ष के दौरान प्रदर्शन	
जी.	शुद्ध पूंजी कारोबार (समय की संख्या) (परिचालन/कार्यशील पूंजी से राजस्व)	785	228				
		34,632	436	9.89	3.79	6.10 वर्ष के दौरान प्रदर्शन	
एच.	निव्वळ नफा मार्जिन (%)	3,502	115				
		711	7	0.02	0.02	0.01 वर्ष के दौरान प्रदर्शन	
		34,632	436				
आई.	इक्विटी पर रिटर्न (कर के बाद शुद्ध लाभ/ औसत शेयरधारक की इक्विटी)	711	7	1.00	0.13	0.87 वर्ष के दौरान प्रदर्शन	
जे.	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (संख्या) (ब्याज और कर से पहले लाभ)	714	53				
		965	9	0.54	0.15	0.39 वर्ष के दौरान प्रदर्शन	
				1,774	60		

के. निवेश पर प्रतिफल (संख्या) लागू नहीं है क्योंकि कोई निवेश नहीं है।
(कर के बाद शुद्ध लाभ / औसत निवेश)

कंपनी अधिनियम, 2013 की संशोधित अनुसूची III के तहत निर्धारित अन्य जानकारी और प्रकटीकरण

41. कंपनी के पास 31 मार्च, 2024 तक कोई अचल संपत्ति नहीं है।
42. कंपनी ने वर्ष के दौरान बिना किसी प्रतिभूति के बैंक से उधार (चालान छूट योजना के तहत) लिया है। कंपनी ने बैंक के साथ कोई रिटर्न या स्टेटमेंट दाखिल नहीं किया है क्योंकि बैंक के मंजूरी पत्र के अनुसार तिमाही रिटर्न की आवश्यकता नहीं थी।
43. कंपनी द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण का आवेदन उन प्रयोजनों के लिए किया गया है जिनके लिए यह ऋण लिया गया था।
44. कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।
45. कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।
46. ऐसे कोई प्रभार अथवा संतुष्टि नहीं हैं जो सांविधिक अवधि के बाद कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत किए जाने हैं।
47. कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित प्रवर्तकों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों को ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है।
48. कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी अन्य व्यक्ति (ओं) या इकाई (ओं) को विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी भी अन्य व्यक्ति (ओं) या इकाई (ओं) को इस समझ के साथ उन्नत या ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ (i) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या निवेश करेगा या (ii) कोई भी प्रदान करेगा गारंटी, सुरक्षा या पसंद या अंतिम लाभार्थियों की ओर से।
49. कंपनी को वर्ष के दौरान किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (ओं) से कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है, जिसमें विदेशी संस्थाएं भी शामिल हैं, इस समझ के साथ कि कंपनी (i) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी, जिनकी पहचान किसी भी तरीके से फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से की गई है या (ii) कोई गारंटी प्रदान करेगी, अंतिम लाभार्थियों की ओर से सुरक्षा या इसी तरह।
50. कंपनी के पास ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जो उन खातों की पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया है जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट किया गया है।
51. सीएसआर गतिविधियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि कंपनी के पास न तो 500 करोड़ रुपये से अधिक का शुद्ध मूल्य था और न ही 1000 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार था और पिछले वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपये से अधिक का शुद्ध लाभ भी नहीं था।



52. कंपनी ने किसी भी सहायक कंपनियों में निवेश नहीं किया है, इसलिए, यह कंपनी पर लागू नहीं है।
53. कंपनी के पास (ए) क्रिप्टो मुद्रा या आभासी मुद्रा, (बी) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के तहत आयोजित बेनामी संपत्ति, (सी) कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ शुल्क या संतुष्टि का पंजीकरण, (डी) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम की धारा 560 के तहत कंपनियों के साथ लेनदेन के संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कोई लेनदेन नहीं है, 1956, (ई) व्यवस्था की योजना, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित
54. आंकड़ों को निकटतम रुपये लाख तक पूर्णांकित कर दिया गया है, जिससे कुल और संघटक आंकड़ों के बीच मामूली विसंगतियां पैदा हो सकती हैं, जिन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है।

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

प्रशांत मांडव्य
निदेशक और मुख्य कार्यकारी
DIN: 09718702

लक्ष्मी देवी
अध्यक्ष — निदेशक
DIN: 09554762

कुमकुम
निदेशक
DIN: 09554864

ए. के. गोयल
(ICAI Mem- No. 071257)
पार्टनर
के लिए और की ओर से
अजय गोयल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
DIN: 02107C

उद्भव प्रताप सिंह
कंपनी सचिव
M.No. 36638
रायबरेली:

आशीष चौबे
प्रबंधक (लेखा और वित्त)

लेखनऊ:
UDIN: 24071257BKDZMA9466



सामर्थ्या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

सी.आई.एन: U01100UP2022PTC161571

स्थान: दूसरी मंजिल, गाटा नंबर 466, 466/2, 466 एमआई/29, 30 एमआई,

गांव अखितरपुर/अहमदपुर, नजूल (बूमबैया कोठी),

तालुका—सदर, रायबरेली, उत्तर प्रदेश, भारत—229001

ई मेल : info@saamarthyamilk.com

नोटिस

सूचना दी जाती है कि सामर्थ्या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की तीसरी वार्षिक आम बैठक सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को होटल द मीरा, लखनऊ प्रयागराज रोड, आईटीआई क्रॉस के पास, 'रायबरेली, उत्तर प्रदेश 229001' में दोपहर 12.30 बजे निम्नलिखित कार्य करने के लिए आयोजित की जाएगी:

1. 31 मार्च, 2024 को बैलेंस शीट प्राप्त करना, विचार करना और अपनाना और उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए कंपनी का लाभ और हानि खाता उसके हिस्से के रूप में अनुसूचियों और नोट्स और निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ और इस संबंध में निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

“संकल्प लिया गया कि 31 मार्च 2024 को लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण अनुसूचियों और नोटों के साथ और कंपनी के निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, एतद्वारा अनुमोदित और अपनाई जाती है।

2. कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और घोषित करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

“संकल्प किया गया कि 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के मुनाफे में से 8/— रुपये प्रति इक्विटी शेयर की दर से शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश), वित्त वर्ष 2023—24 के लिए 100 रुपये प्रत्येक के 604934 इक्विटी शेयरों पर यानी लगभग रुपये 48,39,472.00.00 का लाभांश के रूप में भुगतान किया जाएगा और एतद्वारा अनुमोदित और पुष्टि की जाती है, और इसका भुगतान उन इक्विटी शेयरधारकों को किया जाएगा, जिनके नाम 31 मार्च, 2024 तक सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में दर्ज है।

3. श्रीमती चांदनी (डीआईएन: 09554863) के स्थान पर एक निदेशक पर विचार करना और नियुक्त करना, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होता है और पात्र होने के कारण खुद को फिर से नियुक्ति के लिए पेश करता है और इस संबंध में निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करता है:

“संकल्प लिया गया कि श्रीमती चांदनी (डीआईएन: 09554863) कंपनी की निदेशक, जो कंपनी की इस वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होती हैं और पात्र होने के नाते खुद को फिर से नियुक्ति के लिए पेश करती हैं, और एतद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त की जाती हैं, जिनकी कार्यालय की अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

4. श्रीमती कुमकुम (डीआईएन: 09554864) के स्थान पर एक निदेशक पर विचार करना और नियुक्त करना, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होता है और पात्र होने के कारण खुद को फिर से नियुक्ति के लिए पेश करता है और इस संबंध में निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करता है:

“संकल्प लिया गया कि श्रीमती कुमकुम (डीआईएन: 09554864) कंपनी की निदेशक, जो कंपनी की इस वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होती हैं और पात्र होने के नाते खुद को फिर से नियुक्ति के लिए पेश करती हैं, उन्हें कंपनी के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया जाता है, जिनकी कार्यालय की अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

5. श्रीमती नेहा सिंह की निदेशक के रूप में नियुक्ति

विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को पारित करना :



“यह संकल्प लिया कि श्रीमती नेहा सिंह (डीआईएन: 10628096) जिन्हें 15 मई, 2024 से कंपनी के निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर हैं, उन्हें एतद्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। कंपनी का, जिसका कार्यकाल रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगा।

आगे संकल्प लिया गया कि मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव को इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, उचित और समीचीन सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया गया है।

6. श्रीमती कृष्णा सिंह की निदेशक के रूप में नियुक्ति।

विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को पारित करना।

“यह संकल्प लिया गया कि श्रीमती कृष्णा सिंह (डीआईएन: 10628106) जिन्हें 15 मई, 2024 से कंपनी के निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर हैं, उन्हें निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। कंपनी का, जिसका कार्यकाल रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे।

“यह भी संकल्प लिया गया है कि मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, उचित और समीचीन सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत हैं।”

7. श्रीमती पुनिता की निदेशक के रूप में नियुक्ति।

विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को पारित करना।

“यह संकल्प लिया कि श्रीमती पुनिता (डीआईएन: 10628136) जिन्हें 15 मई, 2024 से कंपनी के निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर हैं, उन्हें एतद्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। कंपनी का, जिसका कार्यकाल होगारोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी

“यह भी संकल्प लिया गया है कि मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, उचित और समीचीन सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत हैं।”

8. श्रीमती संजू वर्मा की निदेशक के रूप में नियुक्ति।

विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को पारित करना।

“यह संकल्प लिया कि श्रीमती। संजू वर्मा (डीआईएन: 10628125) जिन्हें 15 मई, 2024 से कंपनी के निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर हैं, उन्हें निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। कंपनी का, जिसका कार्यकाल होगारोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी।

“यह भी संकल्प लिया गया है कि मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव को इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, उचित और समीचीन सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया गया है।

9. वित्त वर्ष 2024–2025 के लिए कंपनी के बजट पर विचार करना और उसे मंजूरी देना।

“संकल्प लिया गया कि 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए कंपनी का बजट, जैसा कि वार्षिक आम बैठक से पहले रखा गया है, एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है।

10. कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि पर विचार करना और सिफारिश करना।

कंपनी की वर्तमान अधिकृत पूंजी 10,00,00,000.00 /— रुपये (दस करोड़ रुपये) है, और इसकी जारी सदस्यता और भुगतान की गई शेयर पूंजी रुपये 7,98,36,800 /— (सात करोड़ अठाने लाख छत्तीस हजार आठ सौ मात्र) है। व्यवसाय के अपने सामान्य पाठ्यक्रम में अपने विकास और विकासात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कंपनी को नियमित अंतराल पर नए और मौजूदा सदस्यों को शेयर जारी करने की आवश्यकता होगी, इसलिए कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाकर रु. 25 करोड़ और उस उद्देश्य के लिए कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के पूंजी खंड को भी उपयुक्त रूप से बदलने की



आवश्यकता होगी।

कंपनी अधिनियम के लागू वैधानिक प्रावधानों (उस समय लागू होने वाले और कंपनी पर लागू होने वाले किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित, यदि कोई हो) के संदर्भ में, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि के लिए आम सभा में सदस्यों की मंजूरी लेनी होगी जैसा कि ऊपर कहा गया है और कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के पूंजी खंड में परिवर्तन करना होगा।

बोर्ड विचार कर सकता है और यदि अनुमोदित हो तो निम्नलिखित संकल्प अपना सकता है:

“संकल्प लिया गया कि, कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI&A के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, विशेष रूप से धारा 378H, 378 ZQ, 378 ZR और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, कंपनी अधिनियम, 2013 (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन के साथ), कंपनी के ज्ञापन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लेखों के लागू प्रावधान और कंपनी की तीसरी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है, कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी को रु. 10,00,00,000/- (रु. दस करोड़ मात्र) से बढ़ाकर जिसमें रु.100/- (रु. एक सौ) के कुल 1000000/- शेयर हैं को रु. 25,00,00,000/- (रु. पच्चीस करोड़) जिसमें रु.100/- (रु. एक सौ) के कुल 2500000/- इक्विटी शेयरों हैं होंगे को प्रस्तावित किया जायेगा।

आगे यह संकल्प किया गया कि, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को मौजूदा क्लॉज VI को निम्नलिखित नए क्लॉज VI द्वारा प्रतिस्थापित करके बदल दिया गया है।

“कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी रु. 25,00,00,000/- (पच्चीस करोड़ रुपये) को 100/- (एक सौ रुपये) प्रत्येक के 2500000 (केवल पच्चीस लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है।”

“आगे संकल्प लिया गया कि, इस संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य से, कंपनी के मुख्य कार्यकारी को ऐसे सभी कदम उठाने और ऐसे सभी कार्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को करने के लिए अधिकृत किया गया है, जिसे वह अपने पूर्ण विवेक पर कर सकता है आवश्यक और इसके संबंध में उत्पन्न होने वाला प्रश्न, कठिनाई या संदेह को अपनी समझ से निपटा सकते हैं।

11. विचार करने के लिए और यदि उचित समझा जाए, संशोधन के साथ या उसके बिना, एक विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करना।

निदेशक मंडल की नियुक्ति के लिए वर्ग प्रतिनिधित्व के कार्यान्वयन के लिए सदस्यों की पहली वार्षिक आम बैठक में पारित पूर्ववर्ती प्रस्ताव के स्थान पर, यह देखा गया है कि निदेशक मंडल की नियुक्ति के लिए वर्ग प्रतिनिधित्व का कार्यान्वयन तीसरी एजीएम के समापन से उन सभी क्षेत्रों को समान अवसर नहीं मिलेगा जहां कंपनी संचालित होती है क्योंकि कंपनी ने चरणबद्ध तरीके से अपना परिचालन शुरू कर दिया है, इसलिए जिन सदस्यों के क्षेत्र में परिचालन बाद की तारीखों में शुरू हुआ है, उनके पास सदस्यों की तुलना में समान अवसर नहीं हो सकता है जिनके क्षेत्रसंचालन पहले शुरू हुआ।

सदस्य विचार-विमर्श कर सकता है और यदि अनुमोदित हो, तो निम्नलिखित संकल्प अपना सकता है:

“निर्णय लिया गया कि, कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XX1—ए के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, विशेष रूप से धारा 378&I, 378ZQ, 378ZR और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 31 सहित अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, यदि आवश्यक परिवर्तनों सहित या अन्यथा लागू हो) और कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लागू प्रावधानों, एसोसिएशन के मौजूदा आर्टिकल सहित कुछ समय के लिए लागू। कंपनी हो और इसके द्वारा निम्नलिखित तरीके और सीमा तक परिवर्तन किया जाता है।

1. मौजूदा अनुच्छेद 9.5 i. निम्नानुसार पढ़ने के लिए परिवर्तित किया जाए।

बोर्ड में प्रत्येक वर्ग के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले पदों की संख्या, जहां तक संभव हो, संबंधित वर्ग के संरक्षण पर आधारित होगी। हालांकि, कंपनी की चौथी वार्षिक आम बैठक तक इस आवश्यकता को माफ कर दिया गया है

2. मौजूदा अनुच्छेद 9.6 ii. निम्नानुसार पढ़ने के लिए परिवर्तित किया जाए।



वार्षिक आम बैठक में भरी जाने वाली बोर्ड की कोई भी रिक्ति बोर्ड द्वारा नियुक्त नामांकन समिति की सिफारिश पर आधारित होगी। हालाँकि, यह प्रावधान कंपनी की चौथी एजीएम के बाद प्रचलन में रहेगा और तब तक कंपनी के बोर्ड की सिफारिश के आधार पर रिक्त पद भरा जाएगा।

“आगे संकल्प लिया गया कि, कंपनी के मुख्य कार्यकारी को कंपनी रजिस्ट्रार के साथ आवश्यक प्रपत्र दाखिल करने और ऐसे सभी कार्य, कर्म, मामले और चीजें करने और ऐसे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से

उदभव प्रताप सिंह

कंपनी सचिव

सदस्यता

संख्या 36638

दिनांक: 31.08.2024

स्थान: रायबरेली

टिप्पणियां

1. वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य, हाथ दिखाकर मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है, साथ ही मतदान में स्वयं के बजाय एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और एक प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना चाहिए। गैर-सदस्य को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने वाले उपकरण को विधिवत पूरा किया जाना चाहिए, मुहर लगाई जानी चाहिए और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और बैठक के निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। प्रॉक्सी फॉर्म यहां संलग्न है।

2. सदस्यों/प्रॉक्सी से अनुरोध है कि वे बैठक में भाग लेने के लिए इसके साथ भेजी गई उपस्थिति पर्ची विधिवत भरकर लाएँ।

3. प्रत्येक प्रॉक्सी अधिकतम 300 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करेगी और उसकी ओर से मतदान करेगी।

4. सदस्यों द्वारा धारित शेयर पूंजी को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक सदस्य के पास एकल वोट (हाथ उठाकर या मतदान) होगा।

5. वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति के बाद और इस नोटिस की तिथि तक, 17240 नए सदस्यों को प्रवेश दिया गया, जो आगामी एजीएम में वोट देने के हकदार नहीं होंगे।

6. संलग्न नोटिस में निर्दिष्ट प्रासंगिक दस्तावेज शनिवार को छोड़कर सभी कार्य दिवसों पर, सामान्य व्यावसायिक घंटों (11.00 बजे से 16.00 बजे) के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

7. निम्नलिखित दस्तावेज नोटिस के साथ संलग्न हैं:

ए. मद संख्या 3,4,5,5,7,8 में दिए गए नाम के साथ निदेशक के रूप में चुने जाने वाले उम्मीदवारों के संबंध में योग्यता का विवरण।

बी. 22.09.2023 को आयोजित अंतिम वार्षिक आम बैठक का कार्यवृत्त।

सी. 31 मार्च, 2024 को बैलेंस शीट और उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए कंपनी का लाभ और हानि खाता, शेड्यूल और नोट्स के साथ उसका हिस्सा और निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।

डी. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट।

8. सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम में दूसरी वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति लाएँ क्योंकि कंपनी एजीएम स्थल पर कोई प्रति प्रदान नहीं करेगी।

9. कंपनी के खातों या संचालन से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी सदस्य से अनुरोध है कि वह बैठक की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को अपना प्रश्न अग्रणी कर दे।



10. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने सभी पत्राचार में अपना फोलियो नंबर और अपना सदस्य कोड उद्धृत करें।
11. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पते और बैंक खाते के विवरण में किसी भी बदलाव के बारे में कंपनी को तुरंत सूचित करें।
12. सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी से वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस, परिपत्र आदि सहित सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए अपना ई-मेल पता पंजीकृत करें।
13. नामांकन: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के अनुसार, अपने नामांकन को रिकॉर्ड/अद्यतन करने के इच्छुक सदस्यों को कंपनी के साथ निर्धारित फॉर्म एसएच-13 में नामांकन दाखिल करने की सलाह दी जाती है (फॉर्म की प्रति इसके साथ संलग्न है)।
14. एजीएम स्थल पर हथियार, आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, चाकू और ब्लेड, तेज उपकरण आदि प्रतिबंधित हैं।
15. तीसरी वार्षिक आम बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.saamarthyamilk.com पर उपलब्ध है।
16. वार्षिक आम बैठक के आयोजन स्थल तक पहुंचने के लिए आसन स्थान के लिए प्रमुख मील के पत्थर के साथ एक रूट मैप वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ संलग्न है।

निदेशक मंडल के आदेश से

उद्भव प्रताप सिंह

कंपनी सचिव

सदस्यता संख्या 36638

दिनांक: 31.08.2024

स्थान: रायबरेली



व्याख्यात्मक कथन

आइटम नंबर 5

श्रीमती नेहा सिंह को कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 15 मई, 2024 से कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। श्रीमती नेहा सिंह केवल कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर बनी रहेंगी।

बोर्ड का मानना है कि श्रीमती नेहा सिंह की नियुक्ति निदेशक के रूप में कंपनी के बोर्ड में होना वांछनीय है और यह कंपनी के लिए फायदेमंद होगा और इसलिए वह कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए उक्त संकल्प संख्या 5 की सिफारिश करती है।

कंपनी का कोई भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक श्रीमती नेहा सिंह का रिश्तेदार नहीं है। नेहा सिंह स्वयं उक्त प्रस्ताव से किसी भी तरह की रुचि नहीं रखती हैं। बोर्ड उक्त प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करने की अनुशंसा करता है।

आइटम नंबर 6

श्रीमती कृष्णा सिंह को कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 15 मई, 2024 से कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। श्रीमती कृष्णा सिंह कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक ही पद पर बने रहेंगे।

बोर्ड का मानना है कि श्रीमती कृष्णा सिंह की नियुक्ति निदेशक के रूप में कंपनी के बोर्ड में होना वांछनीय है और यह कंपनी के लिए फायदेमंद होगा और इसलिए वह कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए उक्त संकल्प संख्या 6 की सिफारिश करती है।

कंपनी का कोई भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक श्रीमती कृष्णा सिंह का रिश्तेदार नहीं है। कृष्णा सिंह स्वयं उक्त प्रस्ताव से किसी भी तरह की रुचि नहीं रखती हैं। बोर्ड उक्त प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करने की अनुशंसा करता है।

आइटम नंबर 7

श्रीमती पुनिता को कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 15 मई, 2024 से कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। श्रीमती पुनिता कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक ही पद पर बने रहेंगे।

बोर्ड का मानना है कि श्रीमती पुनिता की नियुक्ति निदेशक के रूप में कंपनी के बोर्ड में होना वांछनीय है और यह कंपनी के लिए फायदेमंद होगा और इसलिए वह कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए उक्त संकल्प संख्या 7 की सिफारिश करती है।

कंपनी का कोई भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक श्रीमती पुनिता का रिश्तेदार नहीं है। पुनिता स्वयं उक्त प्रस्ताव से किसी भी तरह की रुचि नहीं रखती हैं। बोर्ड उक्त प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करने की अनुशंसा करता है।

आइटम नंबर 8

श्रीमती संजू वर्मा को कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 15 मई, 2024 से कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। श्रीमती संजू वर्मा कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक ही पद पर बने रहेंगे।



बोर्ड का मानना है कि श्रीमती संजू वर्मा की नियुक्ति निदेशक के रूप में कंपनी के बोर्ड में होना वांछनीय है और यह कंपनी के लिए फायदेमंद होगा और इसलिए वह कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए उक्त संकल्प संख्या 8 की सिफारिश करती है।

कंपनी का कोई भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक श्रीमती संजू वर्मा का रिश्तेदार नहीं है। संजू वर्मा स्वयं उक्त प्रस्ताव से किसी भी तरह की रुचि नहीं रखती हैं। बोर्ड उक्त प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करने की अनुशंसा करता है।

आइटम नंबर 9

सामर्थ्या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड		
राजस्व बजट		
क्र.सं.	विवरण	प्रस्तावित बजट वित्तीय वर्ष 24-25
	कुल खरीद – के.जी.	11,55,73,275
	औसत खरीद – के.जी.पी.डी	3,16,639.11
	वसा %	5.58
	एसएनएफ%	8.60
	ईएफयू %	1.31
ए.	बिक्री प्राप्ति (लाख रुपये में)	63,917.29
	इन्वेंटरी में वृद्धि और (कमी)	—
बी.	निर्माता मूल्य घटा कर:	56,443.41
सी.	सकल मार्जिन	7,473.88
डी.	सहायक मार्जिन	1,414.27
ई.	मिल्कवैन ट्रांसपोर्ट { गांव से बीएमसी }	735.10
एफ.	आउटवर्ड फ्रेट {बीएमसी – मदर डेयरी}	2,624.13
जी.	परिवर्तनीय (वैरिएबल) लागत – दूध खरीद व्यय*	1,490.51
एच.	कुल परिवर्तनीय (वैरिएबल) लागत	6,264.01
आई.	योगदान	1,209.87
	कम: निश्चित लागत—प्रशासनिक व्यय	1,151.99
	मूल्यह्रास	2.00
	जनशक्ति	847.60
जे.	कुल निश्चित (फिक्स्ड) लागत	2,001.59
एल.	अनुदान सहायता से पहले दूध संचालन से लाभ/(हानि)	(791.72)
एम.	अनुदान का समर्थन (विस्तार योजना के लिए)	1,488.06
एन.	अनुदान सहायता के बाद दूध संचालन से लाभ/(हानि)	696.34
	पशु आहार एवं खनिज मिश्रण की बिक्री	2,300.00
	पशु आहार एवं खनिज मिश्रण की खरीद	2,200.00
	इन्वेंटरी में बदलाव – मवेशी चारा और खनिज मिश्रण –	—
	किए गए व्यय (केवल इस ऑपरेशन/क्षेत्र से संबंधित)	80.00
ओ.	एन पशु आहार एवं खनिज मिश्रण से आय	20.00
	प्रवेश (शुल्क) आय	13.50
पी.	ब्याज आय	90.00
क्यू.	विविध (मिस्लेनीयस) आय	
आर.	कर पूर्व कुल लाभ/(हानि)	819.84



पूँजीगत व्यय बजट		
क्र.सं.	विवरण	प्रस्तावित बजट वित्तीय वर्ष 24-25
ए.	दूध ऑपरेशन	(रुपए लाख में)
(i)	एमपीपी स्थापना लागत	150.00
(ii)	डिब्बे	304.94
(iii)	बी.एम.सी	40.24
(iv)	हो सेट अप	10.00
(v)	आई.सी.टी	422.73
(vi)	डी.पी.एम.सी.यू	105.11
(vii)	बी.एम.सी सहायक उपकरण	120.50
(viii)	ए.एम.सी.यू	39.00
(ix)	बी.एम.सी स्थापना लागत	22.50
(x)	ई.टी.पी	
(xi)	क्लस्टर ऑफिसकी स्थापना	14.41
	गैर अनुदान पूँजीगत व्यय	65.50
	कैपेक्स-दूध संचालन	1,294.93
(xi)	कैपेक्स अनुदान सहायता-दूध संचालन	1,229.43
	स्वयं के फंड से पूँजीगत (कैपेक्स) व्यय	65.50
B	पी.ई.एस ऑपरेशन	
(I)	कंटेनर	
(ii)	एल.एन साइलो	
(iii)	हैंडहेल्ड डिवाइस / टैबलेट	
(iv)	लैपटॉप	
(v)	पी.ई.एस केंद्र की स्थापना	6.33
	कैपेक्स-पी.ई.एस संचालन	6.33
(II)	कैपेक्स अनुदान सहायता-पी.ई.एस संचालन	6.33
	कंपनी के फंड से पूँजीगत व्यय	—
(i)	कुल पूँजीगत व्यय	1,301.26
(ii)	कुल पूँजीगत व्यय अनुदान	1,235.76
(iii)	कंपनी के फंड से पूँजीगत व्यय	65.50

आइटम नंबर 10

कंपनी की वर्तमान अधिकृत पूँजी 10,00,00,000.00 /— रुपये (दस करोड़ रुपये) है, और इसकी जारी, सदस्यता और भुगतान की गई शेयर पूँजी रुपये 7,98,36,800 /— (सात करोड़ अठानबे लाख छत्तीस हजार आठ सौ मात्र) है। । व्यवसाय के अपने सामान्य पाठ्यक्रम में अपने विकास और विकासोन्मुख उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कंपनी को नियमित अंतराल पर नए और मौजूदा सदस्यों को शेयर जारी करने की आवश्यकता होगी, इसलिए कंपनी की अधिकृत शेयर पूँजी को बढ़ाकर रु. 25 करोड़ और उस उद्देश्य के लिए, कंपनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के पूँजी खंड को भी उपयुक्त रूप से बदलने की आवश्यकता होगी।

बोर्ड का विचार है कि अधिकृत शेयर पूँजी में वृद्धि वांछनीय है और यह कंपनी के लिए अपनी पूँजी और सदस्य आधार को बढ़ाने और उन सदस्यों को नए शेयर जारी करने के लिए फायदेमंद होगा जो कंपनी की सदस्यता चाहते हैं और मौजूदा सदस्यों के लिए अतिरिक्त शेयर जारी कर सकते हैं। पिछले



वर्ष की तुलना में कंपनी के पास दूध की मात्रा अधिक है और इसलिए कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए उक्त संकल्प संख्या 10 की सिफारिश की जाती है।

बोर्ड उक्त प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करने की अनुशंसा करता है।

11. मद

उन सभी क्षेत्रों के सदस्यों को बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए समान अवसर प्रदान करने की दृष्टि से, जहां कंपनी संचालित होती है, प्रोड्यूसर्स निदेशक के रूप में कंपनी के निदेशक मंडल में वर्ग—आधारित प्रतिनिधित्व के कार्यान्वयन को तीसरे वार्षिक आम बैठक के निष्कर्ष के रूप में स्थगित करना आवश्यक है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कंपनी ने अपना परिचालन चरणबद्ध तरीके से शुरू किया है, इसलिए जिन सदस्यों के क्षेत्र में परिचालन बाद की तारीखों में शुरू हुआ, उनके पास उन सदस्यों की तुलना में समान अवसर नहीं हो सकता है जिनके क्षेत्र में परिचालन पहले शुरू हुआ था।

बोर्ड का विचार है कि प्रोड्यूसर्स सदस्यों के लिए निदेशक मंडल में वर्ग आधारित प्रतिनिधित्व के अलग—अलग कार्यान्वयन से निदेशक कंपनी के सभी सदस्यों के लिए अलग—अलग क्षेत्रों में समान अवसर और आधार प्रदान करते हैं और इसलिए यह उक्त संकल्प संख्या 11 की सिफारिश करता है। कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन बोर्ड उक्त प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करने की अनुशंसा करता है।

सामर्थ्या मिल्क प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड की दूसरी वार्षिक आम बैठक का कार्यवृत्त 22 सितंबर, 2023 गुरुवार को होटल द सफायर, कचेरी रोड, रायबरेली (उत्तर प्रदेश) — 229001 में दोपहर 12.00 बजे आयोजित किया गया।

उपस्थित:

1. श्रीमती लक्ष्मी देवी :	अध्यक्ष और शेयरधारक
2. श्रीमती तेज कुमारी :	निदेशक और शेयरधारक
3. श्रीमती चांदनी :	निदेशक और शेयरधारक
4. श्रीमती कुमकुम :	निदेशक और शेयरधारक
5. श्रीमती नेहा सिंह :	शेयरधारक
6. श्रीमती गायत्री :	शेयरधारक
7. श्रीमती मालती :	शेयरधारक
8. श्रीमती संतोष कुमारी :	शेयरधारक
9. श्रीमती वंदना सिंह :	शेयरधारक
10. श्रीमती माधुरी देवी :	शेयरधारक
11. श्रीमती श्याम लती :	शेयरधारक
12. श्रीमती मंजू देवी :	शेयरधारक
13. श्रीमती पुस्लेटा :	शेयरधारक
14. श्रीमती गीता :	शेयरधारक
15. श्रीमती उषा सागर :	शेयरधारक
16. श्रीमती पूनम यादव :	शेयरधारक
17. श्रीमती राज कुमारी :	शेयरधारक



18. एमएस अनीता :	शेयरधारक
19. श्रीमती शोभा देवी :	शेयरधारक
20. श्रीमती सुदामा :	शेयरधारक
21. श्रीमती अमरावती :	शेयरधारक
22. श्रीमती राज वती :	शेयरधारक
23. श्रीमती गायत्री देवी :	शेयरधारक
24. श्रीमती शकुंतला :	शेयरधारक
25. श्रीमती रानी रानी :	शेयरधारक
26. श्रीमती फूल काली :	शेयरधारक
27. श्रीमती केकती :	शेयरधारक
28. श्रीमती राम दुलारी :	शेयरधारक
29. श्रीमती निर्मला :	शेयरधारक
30. श्रीमती गीता :	299 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रॉक्सी
31. श्रीमती सुषमा देवी :	300 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रॉक्सी
32. श्रीमती तारा वर्मा :	300 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रॉक्सी
33. श्रीमती रेखा :	300 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रॉक्सी
34. श्रीमती राजवती :	300 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रॉक्सी
35. श्रीमती जमुना देवी :	295 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रॉक्सी
36. सुश्री पूजा :	299 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रॉक्सी
37. सुश्री सोनल :	प्रॉक्सी 299 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है
38. श्रीमती विभा :	298 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रॉक्सी
39. श्रीमती अंकिता देवी :	298 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रॉक्सी
40. श्रीमती रिंकी :	300 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रॉक्सी
41. श्रीमती लक्ष्मी देवी :	300 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रॉक्सी
42. श्रीमती रंजना देवी :	300 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रॉक्सी
43. श्रीमती राम कुमारी :	297 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रॉक्सी
44. श्रीमती रामकली :	300 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रॉक्सी
45. श्रीमती. रश्मी यादव :	300 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रॉक्सी
46. श्रीमती फूलमती :	300 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रॉक्सी
47. श्रीमती रामपत्नी :	300 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रॉक्सी
48. श्रीमती बीना :	300 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रॉक्सी
49. श्रीमती हसीना बानो :	298 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रॉक्सी
50. श्रीमती प्रगति श्रीवास्तव :	299 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रॉक्सी
51. श्रीमती सरिता देवी :	299 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रॉक्सी
52. श्रीमती पुष्पा देवी :	300 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रॉक्सी



53. श्रीमती कविता यादव : 297 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रॉक्सी
 54. श्रीमती सुनीता : 300 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रॉक्सी
 55. श्रीमती कमलेश : 300 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रॉक्सी

कंपनी की दूसरी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार, 7778 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 29 सदस्य और 26 प्रॉक्सी बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे।

- ए. श्रीमती लक्ष्मी देवी ने कुर्सी संभाली और घोषणा की कि कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार कोरम मौजूद है। प्रॉक्सी का रजिस्टर, सदस्यों का रजिस्टर और निदेशकों की श्रेयधारिता का रजिस्टर एजीएम स्थल पर उपलब्ध था और निरीक्षण के लिए खुला था। फिर आदेशानुसार बैठक बुलाई गई।
- बी. अध्यक्ष ने कंपनी की दूसरी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों और निदेशकों का स्वागत किया। फिर आदेशानुसार बैठक बुलाई गई।
- सी. उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति सहमति से, दूसरी वार्षिक आम बैठक बुलाने का नोटिस, जो पहले ही सदस्यों को वितरित किया जा चुका था, पढ़ा हुआ मान लिया गया।
- डी. इसके बाद, अध्यक्ष ने सदस्यों को संबोधित किया और दूसरी एजीएम की सूचना में निर्धारित अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया।

सामान्य व्यवसाय :

1.31 31 मार्च, 2023 की बैलेंस शीट और उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि खाते को शेड्यूल और उसके भाग के नोट्स और निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ प्राप्त करना, विचार करना और अपनाना और साधारण संकल्प के रूप में पारित करना का अनुसरण करते हुए इस संबंध में:

श्रीमती पुष्पलता (फोलियो नंबर 0003180) ने निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या दूसरी एजीएम: 22.09.2023:1 / 2023—24

“संकल्प लिया गया है कि 31 मार्च 2023 को ऑडिट की गई बैलेंस शीट, उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, अनुसूचियों और नोट्स के साथ उसका एक हिस्सा और निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, और इसके द्वारा अनुमोदित और अपनाया गया है।”

श्रीमती पूनम (फोलियो नंबर 0006555) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

सभापति ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

2. श्रीमती अनामिका (डीआईएन 09554865), के स्थान पर निदेशक नियुक्त करने पर विचार करना। जो पात्र होने के कारण कार्यालय खाली कर देती है, खुद को पुनः नियुक्ति के लिए पेश करती है।

श्रीमती लक्ष्मी देवी (फोलियो नंबर 0004202) ने निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या दूसरी एजीएम: 22.09.2023:2 / 2023—24



“यह संकल्प लिया कि श्रीमती अनामिका (डीआईएन 09554865), कंपनी की एक निदेशक, जो कंपनी की दूसरी वार्षिक आम बैठक में कार्यालय खाली कर देती है और पात्र होने के नाते खुद को पुनः नियुक्ति के लिए पेश करती है, उसे कंपनी के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया जाता है, उत्तरदायी है रोटेशन से सेवानिवृत्त होना।”

श्रीमती रंजना देवी (फोलियो नंबर 0004018) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

सभापति ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

3. श्रीमती तेज कुमारी (डीआईएन 09554761) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना और नियुक्ति करना, जो पात्र होने के कारण कार्यालय खाली कर देती है और खुद को पुनः नियुक्ति के लिए पेश करती है।

श्रीमती नेहा सिंह (फोलियो नंबर 0000004) ने निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या दूसरी एजीएम: 22.09.2023:3 / 2023—24

“यह संकल्प लिया कि श्रीमती तेज कुमारी (डीआईएन 09554761), कंपनी के एक निदेशक, जो कंपनी की दूसरी वार्षिक आम बैठक में कार्यालय खाली कर देते हैं और पात्र होने के कारण खुद को पुनः नियुक्ति के लिए पेश करते हैं, उन्हें कंपनी के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया जाता है, रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी।”

श्रीमती हसीना बानो (फोलियो नंबर 0002117) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

सभापति ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

4. वित्त वर्ष 2023—2024 के लिए कंपनी के बजट पर विचार करना और अनुमोदन करना।

श्रीमती पूजा (फोलियो नंबर 0006757) ने निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या दूसरी एजीएम: 22.09.2023:4 / 2023—24

“यह संकल्प लिया गया है कि 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए कंपनी का बजट, जैसा कि वार्षिक आम बैठक से पहले रखा गया था और इसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है।”

श्रीमती सोनल (फोलियो नंबर 0006687) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

सभापति ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

5. बैठक में लेन—देन के लिए कोई अन्य कार्य नहीं होने के कारण अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

दिनांक: 20.10.2023

ह./—

लक्ष्मी देवी



उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip)

फोलियों संख्या :

--	--	--	--	--	--

सदस्य
कोड :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

सामर्थ्या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड तीसरी वार्षिक आम बैठक सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को होटल द मीरा, लखनऊ प्रयागराज रोड, आईटीआई क्रॉस के पास, 'रायबरेली, उत्तर प्रदेश 229001' में दोपहर 12.30 बजे निम्नलिखित कार्य करने के लिए आयोजित की जाएगी :

अंश धारक का नाम :	
प्रॉक्सी (Proxy) का नाम :- (अगर प्रॉक्सी बैठक में भाग ले रहा है तो)	

अंशधारक/ प्रॉक्सी के हस्ताक्षर
* जो लागू नहीं होता है, उसे काट दें।



फॉर्म नंबर एमजीटी-11

प्रारूप

सामर्थ्या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

सीआईएन : U01100UP2022PTC161571

स्थान: द्वितीय तल, गाटा संख्या 466, 466/2, 466 एमआई/29, 30 एमआई,

ग्राम अखित्यारपुर/अहमदपुर, नजूल (बूम्बैया कोठी),

तालुका-सदर, रायबरेली, उत्तर प्रदेश, भारत-229001

ईमेल : info@saamarthyamilk.com

सदस्य(सदस्यों) का नाम:
पंजीकृत पता:
ईमेल आईडी:
फोलियो नं.:

मैं/हम उपर्युक्त कंपनी केशेयरों के सदस्य होने के नाते, एतद्वारा नियुक्ति करते हूँ।

1. नाम

फोलियो नं.

पता।

ईमेल आईडी

हस्ताक्षर या उसे विफल करना

2. नाम

पता

ईमेल आईडी

हस्ताक्षर या उसे विफल करना

3. नाम

पता

ईमेल आईडी

हस्ताक्षर.....

कंपनी की तीसरी वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मेरे लिए और मेरी ओर से वोट करने के लिए मेरे प्रॉक्सी के रूप में, जो सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को दोपहर 12.30 बजे 'होटल द मीरा, लखनऊ प्रयागराज रोड, आईटीआई क्रॉस के पास, 'रायबरेली, उत्तर प्रदेश 229001'. पर आयोजित होगी और उसके किसी भी स्थगन पर ऐसे संकल्पों के संबंध में जैसा कि नीचे दर्शाया गया है

सितंबर, 2024 के इस दिन पर हस्ताक्षर किए गए

शेयर धारक के हस्ताक्षर:

प्रॉक्सी धारक के हस्ताक्षर:



क्रम संख्या	संकल्प	पक्ष में	वोट विपक्ष में	तटस्थ
1.	31 मार्च, 2024 को बैलेंस शीट और उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि खाते को प्राप्त करने, विचार करने और अपनाने के लिए, शेड्यूल और नोट्स के साथ उसका हिस्सा और निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।			
2.	कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और घोषणा करना।			
3.	श्रीमती चांदनी (डीआईएन: 09554863) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करने पर विचार करना। जो रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होते हैं और पात्र होने के कारण खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए पेश करते हैं।			
4.	श्रीमती कुमकुम (डीआईएन: 09554864) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करने पर विचार करना। जो रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होते हैं और पात्र होने के कारण खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए पेश करते हैं।			
5.	श्रीमती नेहा सिंह (डीआईएन: 10628096) की नियुक्ति निदेशक के रूप में।			
6.	श्रीमती कृष्ण सिंह (डीआईएन: 10628106) की नियुक्ति निदेशक के रूप में।			
7.	श्रीमती पुनिता (डीआईएन: 10628136) की नियुक्ति निदेशक के रूप में।			
8.	श्रीमती संजू वर्मा (डीआईएन: 10628125) की नियुक्ति निदेशक के रूप में।			
9.	वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए कंपनी के बजट पर विचार करना और अनुमोदन करना।			
10.	कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि पर विचार करना और सिफारिश करना।			
11.	विचार करने के लिए और यदि उचित समझा जाए, संशोधन के साथ या उसके बिना, एक विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करना।			

सितंबर, 2024 के इस दिन पर हस्ताक्षर किए गए

शेयरधारक के हस्ताक्षर:

प्रॉक्सी धारक के हस्ताक्षर:

1 रुपये
लगाओ
राजस्व
स्टाम्प

फॉर्म को वापस कर दिया जाना चाहिए ताकि उपरोक्त बैठक आयोजित करने के समय से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय तक पहुंच सके। प्रॉक्सी को सदस्य होना चाहिए।

बड़े जानवरों में टीकाकरण अनुसूची

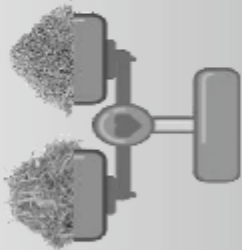


क्र.सं.	बीमारी	टीकाकरण हेतु पशु की आयु और नौराम	रोग प्रतिरोधक क्षमता	खुराक
1	गरा मोटु (MD)	आयु 6 महीने से ऊपर (नई से भूँ)	रोग प्रतिरोधक क्षमता लगभग 21 दिनों में स्थापित होती है और लगभग एक वर्ष तक रहती है	5 इन्जेक्शन के नीचे
2	लंगड़ा बुधरा (BD)	आयु 6 महीने से ऊपर, गर्भा - नो लम	रोग प्रतिरोधक क्षमता लगभग दो सप्ताह में स्थापित होती है सभी मौसम	5 इन्जेक्शन के नीचे
3	खुर पड़ा और मुँह जका (FMD)	आयु 4-6 महीने से ऊपर, नवंबर से दिसंबर तक गर्मी टीकाकरण किया जा सकता है	टीकाकरण के लगभग दो सप्ताह के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता स्थापित हो जाती है और 6-8 महीने तक बना रहती है। बारम्बार टीकाकरण (पशुओं को) लंबी अवधि के लिए प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है	5 इन्जेक्शन के नीचे
4	गिठवर (बचा रोग) (Scabby Skin Disease)	4 महीने की उम्र के बाद	हर मौसम	2 इन्जेक्शन के नीचे
5	रेबीज (Rabies)	काटने के तुरंत बाद 0, 3, 7, 14 और 28 दिन	हर मौसम	1 इन्जेक्शन के नीचे

टीकाकरण कार्यक्रम के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए

- 1-टीकाकरण से पहले पशु को एक सप्ताह पहले कृमिनाशक दवा दे जा चुकी हो
- 2-टीकाकरण हमेशा स्वास्थ्य पशु का होना चाहिए। 6 महीने से कम आयु नहीं होनी चाहिए
- 3-वैक्सीन को ले जाने या भंडारण के लिए कोल्ड चेन को ठीक से बनाए रखा जाना चाहिए
- 4-गर्भवती पशु को टीका नहीं लगाना चाहिए





संतुलित आहार क्यों आवश्यक है ?

उचित शारीरिक विकास तथा शारीरिक रखरखाव

बेहतर दूध उत्पादन तथा दूध की गुणवत्ता

बेहतर प्रजनन क्षमता, रोगों में जल्दी भरपूर मुाफा

- आहार की वह मात्रा जो शारीरिक विकास, दूध उत्पादन, प्रजनन आदि के लिए जरूरी पोषक तत्वों की आवश्यक मात्रा को सही अनुपात में उपलब्ध करता है।

57—57

सूखा चरा

हरा चरा

संतुलित
आहार

संतुलित
पशु आहार

पानी

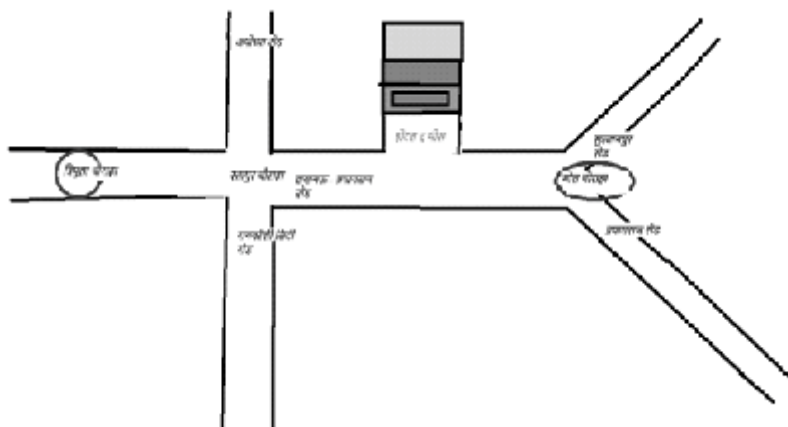
सामान्य नियम के अनुसार एक औसत दुधारू पशु को प्रतिदिन आवश्यकता होती है

- 1 दाने का मिश्रण / पशु आहार @ 400 ग्राम /लीटर दूध देना है तथा शरीर के रख-रखाव के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम पशु आहार प्रतिदिन
- 2 हरा चारा 20 से 25 किलोग्राम।
- 3 भूसा 6 से 7 किलोग्राम।
- 4 पानी 70 से 80 लीटर।





वार्षिक आम सभा के स्थल मार्ग का मानचित्र



..... कृपा यहाँ से काटें

पावती

स्थान: दूसरी मंजिल, गाटा नंबर 466, 466/2, 466 एमआई/29, 30 एमआई,
गांव अखितरपुर/अहमदपुर, नजूल (बूमबैया कोठी),
तालुका—सदर, रायबरेली, उत्तर प्रदेश, भारत—229001
ई मेल : info@saamarthyamilk.com

फोलियो नंबर :

एमपीपी कोड :

मैं सदस्य कोड निवासी सामर्थ्या प्रदेश मिल्क
प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का सदस्य हूँ। मुझे कंपनी द्वारा सभी संलग्नकों के साथ भेजा गया दूसरी
वार्षिक आम बैठक का नोटिस प्राप्त हुआ है।

सदस्य के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान



सामथर्था

मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी

सामथर्था मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

सी.आई.एन: U01100UP2022PTC161571

स्थान: दूसरी मंजिल, गाटा नंबर 466, 466/2, 466 एमआई/29, 30 एमआई,

गांव अखितरपुर/अहमदपुर, नजूल (बूमबैया कोठी),

तालुका—सदर, रायबरेली, उत्तर प्रदेश, भारत—229001

ई मेल : info@saamarthyamilk.com